

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-325

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

गैस-आधारित विद्युत संयंत्र

*325. श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के जीडब्ल्यू गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता 'अवरुद्ध' अथवा 'अप्रयुक्त' है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या जीडब्ल्यू गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता के 'अवरुद्ध' अथवा 'अप्रयुक्त' होने के सटीक कारणों का आकलन किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ईष्टतम उत्पादन हासिल करने हेतु गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों के समक्ष आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“गैस-आधारित विद्युत संयंत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : विद्युत उत्पादन के लिए गैस आधारित वर्तमान संस्थापित क्षमता 24,937 मेगावाट है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 23,883 मेगावाट क्षमता (तरल ईंधन को छोड़कर, 25 मेगावाट से अधिक के सभी प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र) की निगरानी करता है। संस्थापित क्षमता तथा निगरानी की गई क्षमता का ब्यौरे अनुबंध-क में दिए गए हैं। घरेलू गैस उपलब्ध न होने के कारण 14305 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता (110304 मेगावाट क्षमता चालू तथा 3001 मेगावाट निर्माणाधीन) अवरूद्ध है, जो गैस आधारित क्षमता (संस्थापित तथा निर्माणाधीन) का 51.2% है। गैस आधारित अवरूद्ध क्षमता की राज्य-वार सूची अनुबंध-ख में दी गई है। गैस आधारित अवरूद्ध क्षमता का मुख्य कारण विशेष रूप से कृष्णा गोदावरी धीरुभाई-6 (केजी-डी-6) बेसिन से घरेलू गैस की उपलब्धता पर्याप्त न होना है। इस क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र को गैस की आपूर्ति मार्च, 2013 से शून्य है।

(घ) : सरकार ने वैद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने अथवा ग्रिड के लिए वैद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के कारोबार में इसे लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2(28) में यथा परिभाषित किसी उत्पादन कंपनी द्वारा वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन के इसका प्रयोग किए जाने पर द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) तथा प्राकृतिक गैस (एनजी) के आयात पर शून्य सीमा शुल्क का प्रावधान किया है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एनएलजी) का आयात करने, विद्युत उत्पादन करने तथा इसे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

“गैस-आधारित विद्युत संयंत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

संस्थापित क्षमता और निगरानी की गई क्षमता का ब्यौरा

| क्रम सं. | राज्य | क्षेत्र | विकासकर्ता | परियोजना का नाम | क्षमता (मेगावाट) | | टिप्पणियां |
|----------|--------------|------------------|---|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | संस्थापित | निगरानी की गई | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | गौतमी पावर लिमिटेड | गौतमी सीसीपीपी | 464.00 | 464.00 | निगरानी की गई |
| 2 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | लैंको कॉंडापल्ली पावर प्रा. लि. | कॉंडापल्ली स्टे.-3 सीसीपीपी | 742.00 | 742.00 | निगरानी की गई |
| 3 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमि. | गोदावरी सीसीपीपी | 208.00 | 208.00 | निगरानी की गई |
| 4 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लिमिटेड | जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी) | 768.00 | 768.00 | निगरानी की गई |
| 5 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | जीवीके एनर्जी लिमिटेड | जेगुरुपट्टु सीसीपीपी फेज-II | 220.00 | 220.00 | निगरानी की गई |
| 6 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड | कोनासीमा सीसीपीपी | 445.00 | 445.00 | निगरानी की गई |
| 7 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | लैंको कॉंडापल्ली पावर प्रा. लि. | कॉंडापल्ली सीसीपीपी | 350.00 | 350.00 | निगरानी की गई |
| 8 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | लैंको कॉंडापल्ली पावर प्रा. लि. | कॉंडापल्ली एक्सटेंसिव सीसीपीपी | 366.00 | 366.00 | निगरानी की गई |
| 9 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - ए.पी. | पेड्डापूरम सीसीपीपी | 220.00 | 220.00 | निगरानी की गई |
| 10 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | जीएमआर एनर्जी लिमिटेड | जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा | 220.00 | 220.00 | निगरानी की गई |
| 11 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | जीएमआर वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड | वेमागिरी सीसीपीपी | 370.00 | 370.00 | निगरानी की गई |
| 12 | आंध्र प्रदेश | निजी क्षेत्र | ए.पी. गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड | विजेश्वरम सीसीपीपी | 272.00 | 272.00 | निगरानी की गई |
| 13 | आंध्र प्रदेश | राज्य क्षेत्र | एपी ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड | जेगुरुपट्टु सीसीपीपी फेज-I | 235.40 | 235.40 | निगरानी की गई |
| 14 | असम | केंद्रीय क्षेत्र | नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड | कथलगुड़ी सीसीपीपी | 291.00 | 291.00 | निगरानी की गई |
| 15 | असम | निजी क्षेत्र | डीएलएफ पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड | आदमटिल्ला सीसीपीपी | 24.50 | 24.50 | निगरानी की गई |
| 16 | असम | राज्य क्षेत्र | असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड | लकवा जीटी | 97.20 | 97.20 | निगरानी की गई |
| 17 | असम | राज्य क्षेत्र | असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड | लकवा रिप्लेसमेंट सीसीपीपी | 69.76 | 69.76 | निगरानी की गई |
| 17 | असम | राज्य क्षेत्र | असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड | नामरूप सीसीपीपी | 161.25 | 161.25 | निगरानी की गई |
| 18 | दिल्ली | निजी क्षेत्र | नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड | रिठाला सीसीपीपी | 108.00 | 108.00 | निगरानी की गई |
| 19 | दिल्ली | राज्य क्षेत्र | इंद्राप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड | आई.पी. सीसीपीपी | 270.00 | 270.00 | निगरानी की गई |
| 20 | दिल्ली | राज्य क्षेत्र | प्रगति पावर कारपोरेशन लिमि. | प्रगति सीसीपीपी | 330.40 | 330.40 | निगरानी की गई |
| 21 | दिल्ली | राज्य क्षेत्र | प्रगति पावर कारपोरेशन लिमि. | प्रगति सीसीजीटी-III | 1500.00 | 1500.00 | निगरानी की गई |
| 22 | गोवा | निजी क्षेत्र | रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड | गोवा सीसीपीपी (लिवि.) | 48.00 | - | लिविड, निगरानी नहीं की गई |
| 23 | गुजरात | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | गांधार सीसीपीपी | 657.39 | 657.39 | निगरानी की गई |
| 24 | गुजरात | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | कवास सीसीपीपी | 656.20 | 656.20 | निगरानी की गई |
| 25 | गुजरात | निजी क्षेत्र | गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड | बड़ौदा सीसीपीपी | 160.00 | 160.00 | निगरानी की गई |
| 26 | गुजरात | निजी क्षेत्र | टोरेंट पावर लि. | डीजीईएन मेगा सीसीपीपी | 1200.00 | 1200.00 | निगरानी की गई |
| 27 | गुजरात | निजी क्षेत्र | एस्सार पावर लिमिटेड | एस्सार सीसीपीपी | 515.00 | 300.00 | निगरानी की गई |
| 28 | गुजरात | निजी क्षेत्र | सीएलपी इंडिया प्राइवेट लि. | पेगुथान सीसीपीपी | 655.00 | 655.00 | निगरानी की गई |
| 29 | गुजरात | निजी क्षेत्र | सुजैन मेगा पावर प्रोजेक्ट - टोरेंट पावर लि. | सुजैन सीसीपीपी | 1147.50 | 1147.50 | निगरानी की गई |
| 30 | गुजरात | निजी क्षेत्र | टोरेंट पावर लि. | उनोसुजैन सीसीपीपी | 382.50 | 382.50 | निगरानी की गई |
| 31 | गुजरात | राज्य क्षेत्र | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | धुवरन सीसीपीपी | 594.72 | 594.72 | निगरानी की गई |
| 32 | गुजरात | राज्य क्षेत्र | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | हजीरा सीसीपीपी | 156.10 | 156.10 | निगरानी की गई |
| 33 | गुजरात | राज्य क्षेत्र | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | हजीरा सीसीपीपी एक्सटें. | 351.00 | 351.00 | निगरानी की गई |
| 34 | गुजरात | राज्य क्षेत्र | जीएसपीसी - पीपावाव पावर कंपनी लि. | पीपावाव सीसीपीपी | 702.00 | 702.00 | निगरानी की गई |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---|---------------------------------|----------|----------|---|
| 35 | गुजरात | राज्य क्षेत्र | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | उतरन सीसीपीपी | 374.00 | 374.00 | निगरानी की गई |
| 36 | हरियाणा | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | फरीदाबाद सीसीपीपी | 431.59 | 431.59 | निगरानी की गई |
| 37 | जम्मू व कश्मीर | राज्य क्षेत्र | जेएंडके स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन | पम्पोर जीपीएस (लिवि.) | 175.00 | - | लिविड |
| 38 | केरल | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | आर. गांधी सीसीपीपी (लिवि.) | 359.58 | - | लिविड |
| 39 | केरल | निजी क्षेत्र | बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड | कोचीन सीसीपीपी (लिवि.) | 174.00 | - | लिविड |
| 40 | महाराष्ट्र | केंद्रीय क्षेत्र | रत्नागिरी गैस पावर प्राइवेट लिमिटेड | रत्नागिरी सीसीपीपी | 1967.08 | 1967.08 | निगरानी की गई |
| 41 | महाराष्ट्र | निजी क्षेत्र | टाटा पावर कंपनी लिमिटेड | टॉम्बे सीसीपीपी | 180.00 | 180.00 | निगरानी की गई |
| 42 | महाराष्ट्र | निजी क्षेत्र | पायोनीर गैस पावर लि. | मनगांव सीसीपीपी | 388.00 | 388.00 | निगरानी की गई |
| 43 | महाराष्ट्र | राज्य क्षेत्र | महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड | उरन सीसीपीपी | 672.00 | 672.00 | निगरानी की गई |
| 44 | पुडुचेरी | राज्य क्षेत्र | पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लि. | कराईकल सीसीपीपी | 32.50 | 32.50 | निगरानी की गई |
| 45 | राजस्थान | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | अंता सीसीपीपी | 419.33 | 419.33 | निगरानी की गई |
| 46 | राजस्थान | राज्य क्षेत्र | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | धौलपुर सीसीपीपी | 330.00 | 330.00 | निगरानी की गई |
| 47 | राजस्थान | राज्य क्षेत्र | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | रामगढ़ सीसीपीपी | 273.80 | 273.80 | निगरानी की गई |
| 48 | तमिलनाडु | निजी क्षेत्र | लैंको-तंजौर पावर लिमिटेड | करूपपुर सीसीपीपी | 119.80 | 119.80 | निगरानी की गई |
| 49 | तमिलनाडु | निजी क्षेत्र | पीपीएन पावर जेनरेशन कंपनी प्रा. लि. | पी. नल्लूर सीसीपीपी | 330.50 | 330.50 | निगरानी की गई |
| 50 | तमिलनाडु | निजी क्षेत्र | पायोनीर पावर लि. | वालंटरवी सीसीपीपी | 52.80 | 52.80 | निगरानी की गई |
| 51 | तमिलनाडु | राज्य क्षेत्र | तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपो. लि. | बेसिन ब्रिज जीटी (लिवि.) | 120.00 | - | लिविड |
| 52 | तमिलनाडु | राज्य क्षेत्र | तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपो. लि. | कोविकलपल सीसीपीपी | 107.88 | 107.00 | निगरानी की गई |
| 53 | तमिलनाडु | राज्य क्षेत्र | तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपो. लि. | कुड्डलम सीसीपीपी | 100.00 | 100.00 | निगरानी की गई |
| 54 | तमिलनाडु | राज्य क्षेत्र | तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपो. लि. | नारीमनम जीपीएस | 10.00 | - | 25 मेगावाट से कम क्षमता की निगरानी नहीं की गई |
| 55 | तमिलनाडु | राज्य क्षेत्र | तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपो. लि. | वनुथुर सीसीपीपी | 186.20 | 186.20 | निगरानी की गई |
| 56 | त्रिपुरा | केंद्रीय क्षेत्र | नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड - | अगरतला जीटी | 135.00 | 135.00 | निगरानी की गई |
| 57 | त्रिपुरा | केंद्रीय क्षेत्र | ओटीपीसी लिमिटेड | त्रिपुरा सीसीपीपी | 726.60 | 726.60 | निगरानी की गई |
| 58 | त्रिपुरा | केंद्रीय क्षेत्र | नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड - | मोनार्चक सीसीपीपी | 101.00 | 101.00 | निगरानी की गई |
| 59 | त्रिपुरा | राज्य क्षेत्र | त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | बारामुरा जीटी | 58.50 | 58.50 | निगरानी की गई |
| 60 | त्रिपुरा | राज्य क्षेत्र | त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड | रोखिया जीटी | 111.00 | 111.00 | निगरानी की गई |
| 61 | उत्तर प्रदेश | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | औरैया सीसीपीपी | 663.36 | 663.36 | निगरानी की गई |
| 62 | उत्तर प्रदेश | केंद्रीय क्षेत्र | एनटीपीसी लिमिटेड | दादरी सीसीपीपी | 829.78 | 829.78 | निगरानी की गई |
| 63 | उत्तराखंड | निजी क्षेत्र | गामा इंफ्रापरोप प्रा. लि. | गामा सीसीपीपी | 225.00 | 225.00 | निगरानी की गई |
| 64 | उत्तराखंड | निजी क्षेत्र | श्रावन्थी एनर्जी प्रा. लि. | काशीपुर सीसीपीपी | 225.00 | 225.00 | निगरानी की गई |
| 65 | पश्चिम बंगाल | राज्य क्षेत्र | वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपो. लिमिटेड | हल्दिया जीटी (लिवि.) | 40.00 | - | लिविड |
| 66 | पश्चिम बंगाल | राज्य क्षेत्र | वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपो. लिमिटेड | कसबा जीटी (लिवि.) | 40.00 | - | लिविड |
| 67 | पश्चिम बंगाल | राज्य क्षेत्र | वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपो. लिमिटेड | सिलीगुड़ी जीपीएस | 20.00 | - | 25 मेगावाट से कम क्षमता की निगरानी नहीं की गई |
| टिप्पणी: 1. गैस रिपोर्ट में एस्सार सीसीपीपी के 515 मेगावाट में से 300 मेगावाट की निगरानी की गई है। | | | | | | | |
| 2. ईजीओएम ने इन संयंत्रों के लिए केजीडी6 गैस आबंटित की थी लेकिन ये संयंत्र सीईए की संस्थापित क्षमता में नहीं हैं, के अनुसार 148 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की निगरानी (नीचे दी गई सूची के अनुसार) की जा रही है। | | | | | | | |
| | आंध्र प्रदेश | | | पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग लि.* | | 30.00 | |
| | आंध्र प्रदेश | | | आरवीके एनर्जी * | | 28.00 | |
| | आंध्र प्रदेश | | | सिल्क रोड सुगर* | | 35.00 | |
| | आंध्र प्रदेश | | | एलवीएस पावर* | | 55.00 | |
| | | | | | 24937.22 | 23882.76 | |

“गैस-आधारित विद्युत संयंत्र” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

स्टैंडिड गैस आधारित क्षमता (अखिल भारत)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | क्षेत्र | विकासकर्ता | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | राज्य | स्थिति |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1 | गौतमी सीसीपीपी | पी | जीवीके गौतमी पावर लि . | 464 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 2 | जीएमआर – काकीनाडा)तनीरवावी (| पी | जीएमआर एनर्जी | 220 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 3 | जेगुरुपडू सीसीपीपी | पी | जीवीके इंडस्ट्रीज लि . | 220.5 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 4 | कोनासीमा सीसीपीपी | पी | कोनासीमा पावर | 445 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 5 | कोंडापल्ली एक्सटें .सीसीपीपी. | पी | लैंको पावर | 366 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 6 | वेमागिरी सीसीपीपी | पी | जीएमआर एनर्जी | 370 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 7 | श्रीबा इंडस्ट्रीज | पी | पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड | 30 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 8 | आरवीके एनर्जी | पी | आरवीके एनर्जी | 28 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 9 | सिल्क रोड सुगर | पी | सिल्क रोड सुगर | 35 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 10 | एलवीएस पावर | पी | एलवीएस पावर | 55 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 11 | जीएमआर वेमागिरी एक्सपें. | पी | जीएमआर एनर्जी | 768 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 12 | कोंडापल्ली एक्सपें .स्टे.-III | पी | लैंको पावर | 742 | आंध्र प्रदेश | चालू की गई |
| 13 | प्रगति सीसीजीटी-III | एस | प्रगति पावर कारपोरेशन लि . | 750 | दिल्ली | चालू की गई |
| 14 | रिठाला सीसीपीपी | पी | एनडीपीएल | 108 | दिल्ली | चालू की गई |
| 15 | धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल) | एस | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि. | 112 | गुजरात | चालू की गई |
| 16 | उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल) | एस | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि. | 374 | गुजरात | चालू की गई |
| 17 | पीपावाव सीसीपीपी | एस | जीएसपीसी पीपावाव पावर कंपनी लि. | 702 | गुजरात | चालू की गई |
| 18 | धुवरन सीसीपीपी | एस | गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि. | 376.3 | गुजरात | चालू की गई |
| 19 | हजीरा सीसीपीपी एक्सटें. | एस | गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. | 351 | गुजरात | चालू की गई |
| 20 | वाटवा सीसीपीपी* | पी | टॉरेंट पावर | 100 | गुजरात | चालू की गई |
| 21 | एस्सार सीसीपीपी | पी | एस्सार पावर | 300 | गुजरात | चालू की गई |
| 22 | उनोसुजैन सीसीपीपी | पी | टॉरेंट पावर | 382.5 | गुजरात | चालू की गई |
| 23 | डीजीईएन मेगा सीसीपीपी | पी | टॉरेंट पावर | 1200 | गुजरात | चालू की गई |
| 24 | रत्नागिरी) आरजीपीपीएल-दभोल(| सी | एनटीपीसी | 1967 | महाराष्ट्र | चालू की गई |
| 25 | पायोनीर गैस पावर लि .द्वारा सीसीजीटी | पी | पायोनीर गैस पावर लि . | 388 | महाराष्ट्र | चालू की गई |
| 26 | गामा इफ्राप्रोप सीसीजीटी | पी | गामा इफ्राप्रोप | 225 | उत्तराखंड | चालू की गई |
| 27 | काशीपुर सावंधी स्टे.-I | पी | सावंधी एनर्जी | 225 | उत्तराखंड | चालू की गई |
| 28 | काशीपुर सावंधी स्टे.-I व II | पी | सावंधी एनर्जी | 225 | उत्तराखंड | निर्माणाधीन |
| 29 | समलकोट एक्सपें. | पी | रिलायंस इफ्रा | 2400 | आंध्र प्रदेश | निर्माणाधीन |
| 30 | पंडुरंगा द्वारा सीसीजीटी | पी | पंडुरंगा एनर्जी | 116 | आंध्र प्रदेश | निर्माणाधीन |
| 31 | आस्था द्वारा गैस इंजन | पी | आस्था पावर | 35 | तेलंगाना | निर्माणाधीन |
| 32 | बेटा इफ्राटेक सीसीजीटी | पी | बेटा इफ्राटेक | 225 | उत्तराखंड | निर्माणाधीन |
| | कुल | | | 14305 | | |

सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र;

* वाटवा सीसीपीपी 2015-16 में बंद हो गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-336

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाएं

*336. श्री संजय धोत्रे:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) समूचे देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की आज की तिथि अनुसार राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या वित्तीय बाधाओं एवं अन्य कारणों से बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं और यदि हां, तो राज्य एवं परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;
- (ग) निर्माण में विलंब की वजह से ऐसी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा बढ़ी हुई इस लागत राशि का प्रबंध किस प्रकार किये जाने की संभावना है;
- (घ) उक्त परियोजनाओं में विलंब के कारण समूचे देश में विद्युत उत्पादन में कितनी कमी/हानि हुई है; और
- (ङ) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने हेतु उठाये गये/उठाये जा रहे कदम क्या हैं तथा उनकी उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“जल विद्युत परियोजनाएं” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 336 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : दिनांक 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, सम्पूर्ण देश में कुल 12178.50 मेगावाट की 37 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक) थीं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : 37 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में से कुल 5950 मेगावाट की 16 जल विद्युत परियोजनाएं वित्तीय कठिनाईयों तथा अन्य कारणों की वजह से बंद पड़ी हैं/रुकी हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के अनुमानित तारीख के साथ इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : बंद पड़ी ऐसी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की लागत बढ़ने का परियोजना-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। लागत बढ़ने के वित्तपोषण हेतु विकासकर्ताओं द्वारा साम्य की व्यवस्था की जा रही है और ऋण/वाणिज्यिक उधार के जरिए विकासकर्ताओं द्वारा ऋण जुटाया जा रहा है।

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई गणना के अनुसार बंद पड़ी इन परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन की वार्षिक हानि लगभग 18761 मिलियन यूनिट (एमयू) है।

(ङ) : इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैं:

- सीईए नियमित स्थल दौरों एवं विकासकर्ताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए उन महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिचिह्नित करने और उनके समाधान के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
- बाधा वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा अंतरमंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की सुविधा के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) में भी नियमित समीक्षा की जाती है।
- सीपीएसयू के मामले में संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में परियोजना कार्यान्वयन प्राचल/लक्ष्य शामिल किए जाते हैं और सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों के दौरान तथा विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों में उनकी निगरानी की जाती है।
- इलैक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्कर के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में शीघ्रता की जाती है और कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य स्थानीय मुद्दे संबंधित सीपीएसयू/विद्युत मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं।

भारत सरकार स्टेकहोल्डरों के साथ मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है।

अनुबंध-1

“जल विद्युत परियोजनाएं” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य-वार

(30.11.2018 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी) | क्षेत्र | संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट) | निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट) | चालू होने का नवीनतम |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| आंध्र प्रदेश | | | | | |
| 1 | पोलावरम) एपजैको/सिंचाई विभाग ,ए.पी.) | राज्य | 12x80 | 960.00 | 2021-23 (Mar'23) |
| उप-जोड़: आंध्र प्रदेश | | | | 960.00 | |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | | |
| 2 | कामेंग) नीपको(| केंद्रीय | 4x150 | 600.00 | 2019-20 (Jun,19) |
| 3 | सुबानसिरी लोअर) एनएचपीसी (| केंद्रीय | 8x250 | 2000.00 | 2022-23 * |
| 4 | ### गोंगरा (दिरांग एनर्जी) | निजी | 2x72 | 144.00 | 2022-23 * |
| उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश | | | | 2744.00 | |
| हिमाचल प्रदेश | | | | | |
| 5 | पारबती स्टै-II (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 4x200 | 800.00 | 2021-22 (Dec'21) |
| 6 | उहल-III (बीवीपीसीएल) | राज्य | 3x33.33 | 100.00 | 2018-19 (Mar'19) |
| 7 | स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल) | राज्य | 3x37 | 111.00 | 2019-20 (May'19) |
| 8 | शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल) | राज्य | 3x150 | 450.00 | 2024-25 (Apr'24) |
| 9 | बजोली होली (जीएमआर) | निजी | 3x60 | 180.00 | 2019-20 (Aug'19) |
| 10 | सोरांग) एचएसपीसीएल (| निजी | 2x50 | 100.00 | 2020-21 * |
| 11 | टंगनु रोमई) टीआरपीजी (| निजी | 2x22 | 44.00 | 2021-22 * |
| 12 | टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग) | निजी | 100.00 | 100.00 | 2021-22 (Oct'21) |
| उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश | | | | 1885.00 | |
| जम्मू व कश्मीर | | | | | |
| 13 | पकलदुल) सीवीपीपीएल(| केंद्रीय | 4x250 | 1000.00 | 2023-24 |
| 14 | परनई) जेकेएसपीडीसी(| राज्य | 3x12.5 | 37.50 | 2021-22 (Mar'22) |
| 15 | लोअर कलनई) जेकेएसपीडीसी (| राज्य | 2x24 | 48.00 | 2022-23 * |
| 16 | # रत्ले) आरएचईपीपीएल(| निजी | 4x205 + 1x30 | 850.00 | 2023-24 * |
| उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर | | | | 1935.50 | |
| केरल | | | | | |
| 17 | पल्लीवसल) केएसईबी (| राज्य | 2x30 | 60.00 | 2020-21 (Dec'20) |
| 18 | थोटियार (केएसईबी) | राज्य | 1x30+1x10 | 40.00 | 2020-21 |
| उप-जोड़: केरल | | | | 100.00 | |
| मध्य प्रदेश | | | | | |
| 19 | ## महेश्वर) एसएमएचपीसीएल(| निजी | 10x40 | 400.00 | 2020-21 * |
| उप-जोड़: मध्य प्रदेश | | | | 400.00 | |
| महाराष्ट्र | | | | | |
| 20 | कोयना लेफ्ट बैंक) डब्ल्यूआरडी ,एमएएच(| राज्य | 2x40 | 80.00 | 2022-23 * |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------------|----------|--------------------|
| | उप-जोड़: महाराष्ट्र | | | 80.00 | |
| | पंजाब | | | | |
| 21 | शाहपुरकंडी पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब(| राज्य | 3x33+3x33+1x8 | 206.00 | 2021-22 (Nov'21) |
| | उप-जोड़: पंजाब | | | 206.00 | |
| | सिक्किम | | | | |
| 22 | भास्मे) गति इंफ्रास्ट्रक्चर (| निजी | 3x17 | 51.00 | 2021-22 * |
| 23 | रंगित-IV (जल पावर) | निजी | 3x40 | 120.00 | 2021-22 * |
| 24 | रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो) | निजी | 2x33 | 66.00 | 2020-21 * |
| 25 | रौंगनीचू मध्य भारत (| निजी | 2x48 | 96.00 | 2019-20 (Mar'20) |
| 26 | तीस्ता स्टे-.VI (लैंको) | निजी | 4x125 | 500.00 | 2021-22 * |
| 27 | पनन) हिमगिरी (| निजी | 4x75 | 300.00 | 2022-23 * |
| | उप-जोड़: सिक्किम | | | 1133.00 | |
| | तमिलनाडु | | | | |
| 28 | कुंडहा पम्पड स्टोरेज | राज्य | 1x125 | 125.00 | 2022-23 |
| | उप-जोड़: तमिलनाडु | | | 125.00 | |
| | उत्तराखंड | | | | |
| 29 | लता तपोवन (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 3x57 | 171.00 | 2022-23 * |
| 30 | तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 4x130 | 520.00 | 2020-21 (Dec'20) |
| 31 | टिहरी पीएसएस) टीएचडीसी (| केंद्रीय | 4x250 | 1000.00 | 2021-22 * (May'21) |
| 32 | विष्णुगाड पीपलकोटि) टीएचडीसी (| केंद्रीय | 4x111 | 444.00 | 2021-22 (Dec'21) |
| 33 | नैटवर मोरी) एसजेवीएनएल(| केंद्रीय | 2x30 | 60.00 | 2021-22 (Dec-21) |
| 34 | व्यासी (यूजेवीएनएल) | राज्य | 2x60 | 120.00 | 2019-20 (Mar'20) |
| 35 | फाटा ब्यूंग) लैंको (| निजी | 2x38 | 76.00 | 2021-22 * |
| 36 | सिंगोली भटवारी) एलपंडटी (| निजी | 3x33 | 99.00 | 2019-20 (Jun'19) |
| | उप-जोड़: उत्तराखंड | | | 2490.00 | |
| | पश्चिम बंगाल | | | | |
| 37 | रम्माम-III (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 3x40 | 120.00 | 2021-22 (Feb'22) |
| | उप-जोड़: पश्चिम बंगाल | | | 120.00 | |
| | सकल जोड़: | | | 12178.50 | |

* कार्यो के पुनः शुरू होने से संबद्ध।

जेएंडके सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना लेने के लिए निर्देश दिए हैं।

पीएफसी ने शीर्ष देनदार के रूप में 1 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में 51 प्रतिशत की मुख्य इक्विटी अधिग्रहित की है। मामला न्यायाधीन है।

राज्य सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए विकासकर्ता के साथ समझौते को समाप्त कर दिया है।

“जल विद्युत परियोजनाएं” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

(30.11.2018 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट) | क्षेत्र | निर्माण के रुकने के कारण | चालू होने की संभावना |
|---------------------------|---|----------|--|--|
| अरुणाचल प्रदेश/असम | | | | |
| 1 | सुबानसिरी लोअर एनएटपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मेगावाट | केंद्रीय | - बांध की सुरक्षा और बांध के अनुप्रवाही प्रभावों पर विभिन्न सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने पर, दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। - मामला माननीय एनजीटी, कोलकाता बेंच में। | कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | |
| 2 | गोंगरी दिरांग एनर्जी प्रा. लि. 2x72=144 मे.वा. | निजी | प्रवर्तक/ऋणदाताओं से वित्त प्रवाह समस्या के कारण अप्रैल, 2016 के द्वितीय सप्ताह से कार्य रुका। कार्य जुलाई, 2016 में पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु अक्टूबर, 2016 से वित्त संबंधी बाधाएं अभी भी हैं। | कार्यों के पुनः शुरू होने के 3½ वर्ष बाद |
| हिमाचल प्रदेश | | | | |
| 3 | टंगनु रोमई टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2x22=44 मेगावाट | निजी | विकासकर्ता ने सूचित किया है कि मुख्य सुरंग में बहुत खराब भू-स्थिति होने के कारण परियोजना को कठिनाई हुई जिससे परियोजना विलंबित हुई तथा लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य जनवरी, 2015 से रुका। | कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद |
| 4 | सोरांग हिमाचल सोरांग पावर लि. 2x50=100 मेगावाट | निजी | जब यूनिट-2 का परीक्षण चालू हो रहा था, तब सरफेस पेनस्टॉक पाइप में दरार होने के कारण दिनांक 18.11.2015 से कार्य रुका हुआ है। | कार्यों के पुनः शुरू होने के 1 वर्ष बाद |
| जम्मू व कश्मीर | | | | |
| 5 | लोअर कलनई जेकेएसपीडीसी 2x24=48 मेगावाट | राज्य | उप ठेकेदारों के साथ भुगतान के विवाद एवं जेकेएसपीडीसी द्वारा संविदा के समय के विस्तार का निर्धारण न होने के कारण 24.01.2018 से डैम और पावर हाउस स्थलों पर सभी फ्रंटों पर कार्य बंद है। | कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद |
| 6 | रत्ले जीवीके रत्ले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 4x205+1x30=850 मेगावाट | निजी | दिनांक 11 जुलाई, 2014 से कोई प्रगति नहीं हुई (आरएंडआर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या, सिंधु जल संधि इत्यादि) | कार्यों के पुनः शुरू होने के 5 वर्ष बाद |

| मध्य प्रदेश | | | |
|-------------|---|----------|---|
| 7 | महेश्वर श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मेगावाट | निजी | विकासकर्ता से नकद प्रवाह की समस्या के कारण कार्य नवंबर, 2011 से लंबित। कार्यों के पुनः शुरू होने के 1-½ वर्ष बाद |
| महाराष्ट्र | | | |
| 8 | कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार 2x40=80 मेगावाट | राज्य | - परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी। परियोजना पर वर्तमान व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर पर पहुँच चुका है, अतः परियोजना पर व्यय रोक दिया गया है तथा परियोजना कार्य बहुत ही धीमी गति पर चल रहा है। संशोधित लागत पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है। कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद |
| सिक्किम | | | |
| 9 | तीस्ता-VI लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मेगावाट | निजी | अप्रैल, 2014 से लगभग कोई प्रगति नहीं हुई (वित्त संबंधी बाधाएं) कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद |
| 10 | रंगित-IV जल पावर कारपो. लि. (जेपीसीएल) 3x40= 120 मेगावाट | निजी | विकासकर्ता से वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य अक्टूबर, 2013 से रुका। कार्यों के पुनः शुरू होने के 3½ वर्ष बाद |
| 11 | पनन हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. 4x75 = 300 मेगावाट | निजी | माननीय एनजीटी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रमुख सिविल कार्य अप्रैल, 2014 से प्रारंभ नहीं हो सके। एनडब्ल्यूएलबी से एनओसी। कार्यों के पुनः शुरू होने के 4½ वर्ष बाद |
| 12 | रंगित-II सिक्किम हाइड्रो प्रा. लि. 2x33=66 MW | निजी | संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाईयों के कारण निर्माण कार्य दिसंबर, 2017 से रुक गया। कार्यों के पुनः शुरू होने के 2½ वर्ष बाद |
| 13 | भास्मे गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर 2x25.5=51 मेगावाट | निजी | विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य सितंबर, 2016 से रुका हुआ है। कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद |
| उत्तराखंड | | | |
| 14 | लता तपोवन, एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मेगावाट | केंद्रीय | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के कारण निर्माण बंद कर दिया गया। कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद |
| 15 | टिहरी पीएसएस, टीएचडीसी लिमिटेड 4x250=1000 मेगावाट | केंद्रीय | संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाईयों (एचसीसी) के कारण निर्माण कार्य अप्रैल, 2018 से रुक गया। कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद |
| 16 | फाटा ब्यूंग लैंको 2x38=76 मेगावाट | निजी | संविदाकार/विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य जुलाई, 2017 से रुका। कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद |

कुल = 16 (5950 मेगावाट)

“जल विद्युत परियोजनाएं” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

समय आधिक्य एवं लागत आधिक्य वाली रुकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

(30.11.2018 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता/निष्पादन एजेंसी | क्षेत्र | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | चालू होने की मूल अनुसूची | चालू होने की अनुमानित अनुसूची | मूल लागत (करोड़ रुपए में) | नवीनतम लागत/ अनुमानित पूर्णता लागत (करोड़ रुपए में) |
|---------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| अरुणाचल प्रदेश/असम | | | | | | | | |
| 1 | सुबानसिरी लोअर एनएटपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मेगावाट | केंद्रीय | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 250 250 250 250 250 250 250 250 | 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 | 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 4 वर्ष) | 6285.33 (12/02) | 18559.49 (04/17) |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | | | | | |
| 2 | गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी (पी) लि. | निजी | 1 2 | 72 72 | 2016-17 2016-17 | 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 3.5 वर्ष) | 1436.27 (05/2012) | 1535.91 (10/2016) |
| हिमाचल प्रदेश | | | | | | | | |
| 3 | टंगनु रोमई-1 (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल | निजी | 1 2 | 22 22 | 2014-15 2014-15 | 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 3 वर्ष) | 255.00 (01/2007) | 562.97 (01/2017) |
| 4 | सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल | निजी | 1 2 | 50 50 | 2011-12 2011-12 | 2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 2 वर्ष) | 586.00 (04/2005) | 586.00 (संशोधनाधीन) |

| जम्मू व कश्मीर | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|----|-----|---------|--|----------------------|----------------------|
| 5 | लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी | राज्य | 1 | 24 | 2017-18 | 2022-23 | 576.87 (12/2012) | 576.87 (12/2012) |
| | | | 2 | 24 | 2017-18 | 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 4 वर्ष) | | |
| 6 | रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि. | निजी | 1 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | 5517.02 (03/2012) | 6257.00 (09/2013) |
| | | | 2 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | | |
| | | | 3 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | | |
| | | | 4 | 205 | 2017-18 | 2023-24 | | |
| | | | 5 | 30 | 2017-18 | 2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 5 वर्ष) | | |
| महाराष्ट्र | | | | | | | | |
| 7 | कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र | राज्य | 1 | 40 | 2014-15 | 2022-23 | 245.02 (1999) | 1494.94 (2014) |
| | | | 2 | 40 | 2014-15 | 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 4 वर्ष) | | |
| मध्य प्रदेश | | | | | | | | |
| 8 | महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल | निजी | 1 | 40 | 2001-02 | 2020-21 | 1569.27 (96-97) | 8121.00 (2016-17) |
| | | | 2 | 40 | 2001-02 | (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 1.5 वर्ष) | | |
| | | | 3 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 4 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 5 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 6 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 7 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 8 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 9 | 40 | 2001-02 | | | |
| | | | 10 | 40 | 2001-02 | | | |
| सिक्किम | | | | | | | | |
| 9 | तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि. | निजी | 1 | 125 | 2012-13 | 2021-22 | 3283.08 (2008) | 5748.00 (07/2018) |
| | | | 2 | 125 | 2012-13 | 2021-22 | | |
| | | | 3 | 125 | 2012-13 | 2021-22 | | |
| | | | 4 | 125 | 2012-13 | 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 3 वर्ष) | | |
| 10 | रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल | निजी | 1 | 40 | 2011-12 | 2021-22 | 726.17 (2011-12) | 1692.60 (06/2016) |
| | | | 2 | 40 | 2011-12 | 2021-22 | | |
| | | | 3 | 40 | 2011-12 | 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 3.5 वर्ष) | | |
| 11 | पन्न 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. | निजी | 1 | 75 | 2018-19 | 2022-23 | 1833.05 (2009) | 2516.00 (09/2016) |
| | | | 2 | 75 | 2018-19 | 2022-23 | | |
| | | | 3 | 75 | 2018-19 | 2022-23 | | |
| | | | 4 | 75 | 2018-19 | 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|------------------|--------------------------|---|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | संबद्ध, 4 वर्ष) | | |
| 12 | भास्मे 2x25.5=51 मेगावाट गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर | निजी | 1 2 | 25.5 25.5 | 2012-13 2012-13 | 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 3 वर्ष) | 408.50 (2012-13) | 690.30 |
| 13 | रंगित-II 2x33=66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि. | निजी | 1 2 | 33 33 | 2015-16 2015-16 | 2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 2.5 वर्ष) | 496.44 | 496.44 (संशोधनाधीन) |
| | उत्तराखंड | | | | | | | |
| 14 | लतो तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी | केंद्रीय | 1 2 3 | 57 57 57 | 2017-18 2017-18 2017-18 (Aug'17) | 2022-23 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 4 वर्ष) | 1527.00 (07/2012) | 1801.07 (संशोधनाधीन) |
| 15 | टिहरी पीएसएस 4x250=1000 मेगावाट टीएचडीसी | केंद्रीय | 1 2 3 4 | 250 250 250 250 | 2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 | 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध) | 1657.60 (12/2005) | 3939.11 |
| 16 | फाटा ब्यूंग 2x38=76 मेगावाट लैंको | निजी | 1 2 | 38 38 | 2012-13 2012-13 | 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध, 3 वर्ष) | 520.00 (2013-14) | 1225.53 |
| | | | | कुल | | | 26922.62 | 55803.27 |

टिप्पणी: परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सीईए को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर परियोजना की नवीनतम लागत/अनुमानित लागत।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-337

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

*337. श्री मानशंकर निनामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार उत्पादित की जा रही कुल विद्युत, स्रोत-वार कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता विद्युत की मांग एवं पूर्ति तथा विद्युत की मांग एवं पूर्ति में अंतर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर राज्यों तथा अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी विद्युत आपूर्ति स्रोत-वार कितनी है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राज्यों की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ है तथा उनके द्वारा उत्पादित कुल विद्युत में से राज्यों को कितनी विद्युत दी गई?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“विद्युत उत्पादन” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : राज्य-वार, स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

संस्थापित क्षमता तथा नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान विद्युत मांग और आपूर्ति दर्शाने वाली विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) : वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्यों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए विभिन्न विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा **अनुबंध-IV** में दी गई है। राज्यों की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत राज्य द्वारा अपनी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए उपभोग की जा रही है।

अनुबंध-1

“विद्युत उत्पादन” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान राज्य-वार और स्रोत-वार उत्पादन

| राज्य | श्रेणी | 30.11.2018 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता मेगावाट | उत्पादन |
|---------------------------|------------|--|---|
| | | | (मिलियन यूनिट) 2018-19 (नवंबर, 18 तक)* |
| बीबीएमबी | हाइड्रो | 2920.3 | 7070.13 |
| बीबीएमबी कुल | | 2920.3 | 7070.13 |
| दिल्ली | थर्मल | 2343.4 | 5671.99 |
| दिल्ली कुल | | 2343.4 | 5671.99 |
| हरियाणा | थर्मल | 5971.59 | 16823.39 |
| हरियाणा कुल | | 5971.59 | 16823.39 |
| हिमाचल प्रदेश | हाइड्रो | 6934.02 | 23043.54 |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | 6934.02 | 23043.54 |
| जम्मू व कश्मीर | थर्मल | 175 | 0 |
| | हाइड्रो | 3449 | 13246.42 |
| जम्मू व कश्मीर कुल | | 3624 | 13246.42 |
| पंजाब | थर्मल | 5680 | 18691.03 |
| | हाइड्रो | 1051 | 2485.76 |
| पंजाब कुल | | 6731 | 21176.79 |
| राजस्थान | थर्मल | 9523.13 | 31503.46 |
| | न्यूक्लियर | 1180 | 5383.38 |
| | हाइड्रो | 411 | 204.99 |
| राजस्थान कुल | | 11114.13 | 37091.83 |
| उत्तर प्रदेश | थर्मल | 23242.14 | 82027.56 |
| | न्यूक्लियर | 440 | 2185.72 |
| | हाइड्रो | 501.6 | 689.05 |
| उत्तर प्रदेश कुल | | 24183.74 | 84902.33 |
| उत्तराखंड | थर्मल | 450 | 798.7 |
| | हाइड्रो | 3756.35 | 10669.62 |
| उत्तराखंड कुल | | 4206.35 | 11468.32 |
| छत्तीसगढ़ | थर्मल | 22968 | 79208.32 |
| | हाइड्रो | 120 | 216.02 |
| छत्तीसगढ़ कुल | | 23088 | 79424.34 |
| गोवा | थर्मल | 48 | 0 |
| गोवा कुल | | 48 | 0 |
| गुजरात | थर्मल | 23043.41 | 60391.86 |
| | न्यूक्लियर | 440 | 343.92 |
| | हाइड्रो | 1990 | 590.66 |
| गुजरात कुल | | 25473.41 | 61326.44 |
| मध्य प्रदेश | थर्मल | 18325 | 78125.85 |
| | हाइड्रो | 2395 | 2239.12 |
| मध्य प्रदेश कुल | | 20720 | 80364.97 |
| महाराष्ट्र | थर्मल | 28433.08 | 81951.64 |
| | न्यूक्लियर | 1400 | 7118.45 |
| | हाइड्रो | 2887 | 3672.66 |
| महाराष्ट्र कुल | | 32720.08 | 92742.75 |
| आंध्र प्रदेश | थर्मल | 16507.2 | 41398.12 |
| | हाइड्रो | 1150 | 952.75 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | 17657.2 | 42350.87 |
| कर्नाटक | थर्मल | 9633.12 | 18696.76 |
| | न्यूक्लियर | 880 | 4969.27 |
| | हाइड्रो | 3657.4 | 7576.88 |
| कर्नाटक कुल | | 14170.52 | 31242.91 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| केरल | थर्मल | 693.54 | 1.26 |
| | हाइड्रो | 1881.5 | 5640.69 |
| केरल कुल | | 2575.04 | 5641.95 |
| पुडुचेरी | थर्मल | 32.5 | 166.87 |
| पुडुचेरी कुल | | 32.5 | 166.87 |
| तमिलनाडु | थर्मल | 14188.88 | 46144.38 |
| | न्यूक्लियर | 2440 | 5268.4 |
| | हाइड्रो | 2203.2 | 3958.72 |
| तमिलनाडु कुल | | 18832.08 | 55371.5 |
| तेलंगाना | थर्मल | 6682.5 | 31806.39 |
| | हाइड्रो | 2865.6 | 2132.27 |
| तेलंगाना कुल | | 9548.1 | 33938.66 |
| अंडमान व निकोबार | थर्मल | 40.05 | 97.38 |
| अंडमान व निकोबार कुल | | 40.05 | 97.38 |
| बिहार | थर्मल | 5480 | 20656.18 |
| बिहार कुल | | 5480 | 20656.18 |
| डीवीसी | थर्मल | 7090 | 23775.6 |
| | हाइड्रो | 143.2 | 165.36 |
| डीवीसी कुल | | 7233.2 | 23940.96 |
| झारखंड | थर्मल | 2250 | 9034.54 |
| | हाइड्रो | 130 | 102.71 |
| झारखंड कुल | | 2380 | 9137.25 |
| ओडिशा | थर्मल | 7680 | 26360.35 |
| | हाइड्रो | 2142.25 | 5103.97 |
| ओडिशा कुल | | 9822.25 | 31464.32 |
| सिक्किम | हाइड्रो | 2169 | 7756.49 |
| सिक्किम कुल | | 2169 | 7756.49 |
| पश्चिम बंगाल | थर्मल | 9605 | 34263.99 |
| | हाइड्रो | 1278 | 2244.37 |
| पश्चिम बंगाल कुल | | 10883 | 36508.36 |
| अरुणाचल प्रदेश | हाइड्रो | 515 | 1284.4 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल | | 515 | 1284.4 |
| असम | थर्मल | 1119.21 | 3563.87 |
| | हाइड्रो | 325 | 1267.59 |
| असम कुल | | 1444.21 | 4831.46 |
| मणिपुर | थर्मल | 36 | 0 |
| | हाइड्रो | 105 | 508.27 |
| मणिपुर कुल | | 141 | 508.27 |
| मेघालय | हाइड्रो | 372 | 985.9 |
| मेघालय कुल | | 372 | 985.9 |
| मिजोरम | हाइड्रो | 60 | 137.32 |
| मिजोरम कुल | | 60 | 137.32 |
| नागालैंड | हाइड्रो | 75 | 215.62 |
| नागालैंड कुल | | 75 | 215.62 |
| त्रिपुरा | थर्मल | 1132.1 | 4258.9 |
| त्रिपुरा कुल | | 1132.1 | 4258.9 |
| भूटान (आयात) | भूटान (आयात) कुल | | 4353.62 |
| भूटान (आयात) कुल | | | 4353.62 |
| सकल जोड़ | | 274640.27 | 849202.43 |
| * वास्तविक सह मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम | | | |
| टिप्पणी. 1. उत्पादन में 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के संयंत्रों (परंपरागत स्रोतों अर्थात केवल हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर से) का उत्पादन शामिल है। | | | |
| 2. ऊपर दिए गए आंकड़ें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं। | | | |

“विद्युत उत्पादन” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

नवीकरणीय स्रोतों से संस्थापित क्षमता और उत्पादन का निष्पादन

| क्रम सं. | क्षेत्र/राज्य | 30 नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता | अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान उत्पादन |
|----------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | | (मेगावाट) | (एमयू) |
| 1 | चंडीगढ़ | 30 | 10.15 |
| 2 | दिल्ली | 122 | 198.43 |
| 3 | हरियाणा | 412 | 417.76 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 862 | 1,989.26 |
| 5 | जम्मू व कश्मीर | 189 | 242.03 |
| 6 | पंजाब | 1,282 | 1,544.73 |
| 7 | राजस्थान | 7,425 | 7,912.68 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 2,722 | 2,554.50 |
| 9 | उत्तराखंड | 590 | 754.69 |
| | उत्तरी क्षेत्र | 13,634 | 15,624.22 |
| 10 | छत्तीसगढ़ | 535 | 674.57 |
| 11 | गुजरात | 7,544 | 9,670.07 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 4,166 | 5,406.34 |
| 13 | महाराष्ट्र | 8,759 | 9,811.79 |
| 14 | दमन और दीव | 13 | 3.41 |
| 15 | दादरा व नागर हवेली | 5 | 11.60 |
| 16 | गोवा | 1 | |
| | पश्चिमी क्षेत्र | 21,024 | 25,577.78 |
| 17 | आंध्र प्रदेश | 7,229 | 10,602.81 |
| 18 | तेलंगाना | 3,801 | 4,503.35 |
| 19 | कर्नाटक | 12,912 | 14,734.92 |
| 20 | केरल | 413 | 571.67 |
| 21 | तमिलनाडु | 11,614 | 14,073.94 |
| 22 | पांडिचेरी | 2 | 1.66 |
| 23 | लक्षद्वीप | 1 | 0.83 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | 35,972 | 44,489.17 |
| 24 | बिहार | 326 | 198.25 |
| 25 | डीवीसी | 0 | 1.81 |
| 26 | झारखंड | 36 | 12.52 |
| 27 | ओडिशा | 233 | 422.90 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 436 | 1,093.37 |
| 29 | सिक्किम | 52 | 22.32 |
| 30 | अंडमान-निकोबार | 12 | 15.88 |
| | पूर्वी क्षेत्र | 1,095 | 1,767.05 |
| 31 | अरुणाचल प्रदेश | 112 | 1.12 |
| 32 | असम | 47 | 14.34 |
| 33 | मणिपुर | 8 | 0.73 |
| 34 | मेघालय | 31 | 37.56 |
| 35 | मिजोरम | 37 | 25.26 |
| 36 | नागालैंड | 32 | 75.20 |
| 37 | त्रिपुरा | 21 | 27.32 |
| | पूर्वांतर | 287 | 181.53 |
| 38 | अन्य | | 1,305.58 |
| | अखिल भारत | 72,013 | 88,945.34 |

“विद्युत उत्पादन” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

2018-19 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

| राज्य/प्रणाली/क्षेत्र | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| | अप्रैल, 2018 - नवंबर, 2018 | | | | अप्रैल, 2018 - नवंबर, 2018 | | | |
| | ऊर्जा आवश्यकता (MU) | आपूर्ति की गई ऊर्जा (MU) | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (MU) | (%) | व्यस्ततम मांग (MW) | व्यस्ततम आपूर्ति (MW) | पूरी नहीं की गई मांग (MW) | (%) |
| चंडीगढ़ | 1,147 | 1,147 | 0 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 24,375 | 24,361 | 15 | 0.1 | 7,016 | 7,016 | 0 | 0.0 |
| हरियाणा | 38,786 | 38,786 | 0 | 0.0 | 10,270 | 10,270 | 0 | 0.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 6,483 | 6,276 | 207 | 3.2 | 1,605 | 1,547 | 58 | 3.6 |
| जम्मू व कश्मीर | 12,479 | 10,083 | 2,396 | 19.2 | 2,951 | 2,361 | 590 | 20.0 |
| पंजाब | 42,016 | 42,003 | 13 | 0.0 | 12,638 | 12,638 | 0 | 0.0 |
| राजस्थान | 52,067 | 51,907 | 160 | 0.3 | 11,809 | 11,809 | 0 | 0.0 |
| उत्तर प्रदेश | 83,883 | 83,148 | 735 | 0.9 | 20,498 | 20,062 | 436 | 2.1 |
| उत्तराखण्ड | 9,390 | 9,303 | 87 | 0.9 | 2,143 | 2,143 | 0 | 0.0 |
| उत्तरी क्षेत्र | 270,628 | 267,015 | 3,612 | 1.3 | 63,166 | 61,726 | 1,440 | 2.3 |
| छत्तीसगढ़ | 18,531 | 18,502 | 29 | 0.2 | 4,416 | 4,270 | 146 | 3.3 |
| गुजरात | 79,312 | 79,297 | 15 | 0.0 | 17,053 | 16,963 | 90 | 0.5 |
| मध्य प्रदेश | 48,046 | 48,044 | 2 | 0.0 | 12,425 | 12,416 | 9 | 0.1 |
| महाराष्ट्र | 108,546 | 108,410 | 136 | 0.1 | 23,864 | 23,254 | 610 | 2.6 |
| दमन और दीव | 1,717 | 1,717 | 0 | 0.0 | 357 | 356 | 1 | 0.2 |
| दादरा नागर हवेली | 4,169 | 4,169 | 0 | 0.0 | 816 | 815 | 1 | 0.1 |
| गोवा | 2,860 | 2,857 | 3 | 0.1 | 596 | 596 | 0 | 0.0 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 263,180 | 262,996 | 184 | 0.1 | 56,675 | 55,821 | 853 | 1.5 |
| आंध्र प्रदेश | 42,725 | 42,677 | 49 | 0.1 | 9,459 | 9,453 | 6 | 0.1 |
| तेलंगाना | 43,612 | 43,560 | 52 | 0.1 | 10,815 | 10,815 | 0 | 0.0 |
| कर्नाटक | 45,227 | 45,169 | 58 | 0.1 | 11,185 | 11,185 | 0 | 0.0 |
| केरल | 16,335 | 16,230 | 105 | 0.6 | 4,050 | 3,997 | 53 | 1.3 |
| तमिलनाडु | 73,534 | 73,448 | 86 | 0.1 | 15,029 | 14,981 | 47 | 0.3 |
| पुडुचेरी | 1,855 | 1,846 | 8 | 0.4 | 420 | 400 | 19 | 4.6 |
| लक्षद्वीप | 31 | 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 223,289 | 222,930 | 359 | 0.2 | 45,946 | 45,684 | 262 | 0.6 |
| बिहार | 21,247 | 21,041 | 206 | 1.0 | 5,115 | 5,084 | 31 | 0.6 |
| डीवीसी | 14,955 | 14,646 | 309 | 2.1 | 2,893 | 2,874 | 19 | 0.7 |
| झारखंड | 5,790 | 5,675 | 115 | 2.0 | 1,339 | 1,284 | 55 | 4.1 |
| ओडिशा | 22,867 | 22,837 | 30 | 0.1 | 5,357 | 5,357 | 0 | 0.0 |
| पश्चिम बंगाल | 37,123 | 36,981 | 141 | 0.4 | 9,130 | 9,123 | 7 | 0.1 |
| सिक्किम | 324 | 323 | 0 | 0.1 | 108 | 108 | 0 | 0.0 |
| अंडमान- निकोबार | 231 | 215 | 15 | 7 | 58 | 54 | 4 | 7 |
| पूर्वी क्षेत्र | 102,306 | 101,503 | 802 | 0.8 | 23,141 | 22,733 | 408 | 1.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 568 | 561 | 7 | 1.3 | 138 | 133 | 5 | 3.7 |
| असम | 6,846 | 6,579 | 267 | 3.9 | 1,865 | 1,809 | 56 | 3.0 |
| मणिपुर | 562 | 554 | 8 | 1.4 | 193 | 189 | 4 | 2.0 |
| मेघालय | 1,203 | 1,202 | 1 | 0.0 | 371 | 368 | 2 | 0.7 |
| मिजोरम | 430 | 424 | 6 | 1.4 | 103 | 102 | 1 | 0.6 |
| नागालैंड | 602 | 535 | 67 | 11.1 | 156 | 138 | 18 | 11.7 |
| त्रिपुरा* | 1,195 | 1,176 | 20 | 1.7 | 298 | 293 | 5 | 1.7 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | 11,407 | 11,032 | 375 | 3.3 | 2,967 | 2,850 | 117 | 3.9 |
| अखिल भारतीय | 870,809 | 865,476 | 5,334 | 0.6 | 177,022 | 175,528 | 1,494 | 0.8 |

लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय मांग और उपलब्धता का भाग नहीं है।

* बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर

“विद्युत उत्पादन” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 से 2016-17 के दौरान राज्य-वार और स्टेशन-वार उत्पादन

| राज्य | स्टेशन का नाम | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 |
| बीबीएमबी | भाखड़ा एचपीएस | 5168.27 | 5892.62 | 5268.15 |
| | देहार एचपीएस | 3184.68 | 3339.14 | 3151.06 |
| | गंगुवाल एचपीएस | 416.54 | 421.93 | 422.89 |
| | कोटला एचपीएस | 430.58 | 430.45 | 430.32 |
| | पोंग एचपीएस | 1369.93 | 1734.76 | 1327.36 |
| बीबीएमबी कुल | | 10570 | 11818.9 | 10599.78 |
| दिल्ली | बदरपुर टीपीएस | 1704.85 | 2241.44 | 3281.21 |
| | आई.पी. सीसीपीपी | 695.52 | 467.17 | 936.07 |
| | प्रगति सीसीजीटी-III | 2047.49 | 1911.55 | 2235.07 |
| | प्रगति सीसीपीपी | 1805.4 | 1539.34 | 1846.94 |
| | राजघाट टीपीएस | 0 | 46.6 | 423.54 |
| | रिठाला सीसीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली कुल | | 6253.26 | 6206.1 | 8722.83 |
| हरियाणा | फरीदाबाद सीसीपीपी | 1034.05 | 1100.64 | 1571.43 |
| | इंदिरा गांधी एसटीपीपी | 5473.77 | 5798.2 | 7022.93 |
| | महात्मा गांधी टीपीएस | 2895.7 | 4952.22 | 6537.48 |
| | पानीपत टीपीएस | 2205.93 | 1704.89 | 4403.69 |
| | राजीव गांधी टीपीएस | 3856.75 | 4634.49 | 5697.39 |
| | यमुना नगर टीपीएस | 3424.24 | 4056.7 | 3515.69 |
| हरियाणा कुल | | 18890.44 | 22247.14 | 28748.61 |
| हिमाचल प्रदेश | अतियन दुहांगन एचपीएस | 679.12 | 724.96 | 677.78 |
| | बैरासिडल एचपीएस | 669.33 | 745.59 | 796.67 |
| | बासपा एचपीएस | 1342.75 | 1304.5 | 1252.58 |
| | बस्सी एचपीएस | 297.76 | 315.9 | 295.01 |
| | बुधहिल एचपीएस | 261.25 | 287.85 | 235.83 |
| | चमेरा-I एचपीएस | 2224.39 | 2623.7 | 2551.8 |
| | चमेरा-II एचपीएस | 1443.93 | 1523.98 | 1498.71 |
| | चमेरा-III एचपीएस | 917.09 | 1043.62 | 1020.78 |
| | चंजू-1 एचपीएस | 11.29 | | |
| | गिरी बाटा एचपीएस | 140.6 | 189.06 | 199.82 |
| | करछम वांगटू एचपीएस | 4372.29 | 4726.32 | 4240.43 |
| | कशांग-I एचईपी | 56.09 | | |
| | कोलडैम | 3225.16 | 2308.6 | 0.25 |
| | लारजी एचपीएस | 611.66 | 656.85 | 609.69 |
| | मलाना एचपीएस | 353.79 | 341.94 | 328.43 |
| | मलाना-II एचपीएस | 366.54 | 354.42 | 250.41 |
| | नाथपा झाकड़ी एचपीएस | 7050.64 | 7313.79 | 6837.5 |
| | पार्वती-III एचपीएस | 682.48 | 643 | 660.78 |
| | रामपुर एचपीएस | 1960.42 | 1983.41 | 1317.57 |
| | सैंज एचपीएस | 0 | | |
| संजय एचपीएस | 187.4 | 0 | 545.09 | |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | 26853.98 | 27087.49 | 23319.13 |
| जम्मू व कश्मीर | बगलीहार एचपीएस | 2184.56 | 3000.14 | 2939.91 |
| | बगलीहार-II एचपीएस | 1758.98 | 55.6 | |
| | चूटक एचपीएस | 44.12 | 36.91 | 35.5 |
| | दुलहस्ती एचपीएस | 2280.02 | 2361.48 | 2176.43 |
| | किशनगंगा एचपीएस | 0 | | |
| | लोअर झेलम एचपीएस | 483.15 | 666.21 | 600.87 |
| | निम्मो बाजगो एचपीएस | 95.21 | 90.51 | 75.55 |
| | पम्पूर जीपीएस (लिक्वि.) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | सलाल एचपीएस | 3423.09 | 3591.36 | 3491.58 |
| | सेवा-II एचपीएस | 470.61 | 597.07 | 597.06 |
| | अपर सिंध-II एचपीएस | 362.91 | 258.35 | 303.32 |
| | उरी-I एचपीएस | 2803.1 | 3282.97 | 3076.62 |
| | उरी-II एचपीएस | 1471.94 | 1195.55 | 1188.18 |
| जम्मू व कश्मीर कुल | | 15377.69 | 15136.15 | 14485.02 |
| पंजाब | आनंदपुर साहिब एचपीएस | 673.87 | 668.54 | 617.5 |
| | जीएच टीपीएस (लेह. मोह.) | 2736.39 | 3138.22 | 4507.89 |
| | जीएनडी टीपीएस (अटिंडा) | 698.58 | 918.3 | 1432.72 |
| | गोइंदवाल साहिब टीपीपी | 223.91 | 54.39 | 0 |
| | मुकेरियां एचपीएस | 1083.51 | 1169.46 | 1050.95 |
| | राजपुरा टीपीपी | 9441.76 | 7703.31 | 5727.31 |
| | रंजीत सागर एचपीएस | 1306.08 | 1957.27 | 1862.8 |
| | रोपड़ टीपीएस | 2776.36 | 3959.03 | 5731.21 |
| | शानन एचपीएस | 472.88 | 532.57 | 507.82 |
| | तलवंडी साबो टीपीपी | 7078.84 | 3241.8 | 1522.7 |
| पंजाब कुल | | 26492.18 | 23342.89 | 22960.9 |
| राजस्थान | अंता सीसीपीपी | 695.18 | 941.97 | 1653.45 |
| | बरसिंगसर लिग्नाइट | 1463.25 | 1285.56 | 1380.66 |
| | छाबड़ा टीपीपी | 6826.93 | 4472.07 | 4684.34 |
| | डीएई (राजस्थान) | 0 | 0 | 0 |
| | धौलपुर सीसीपीपी | 124.84 | 328.38 | 878.32 |
| | गिरल टीपीएस | 0 | 275.15 | 357.24 |
| | जलीपा कपूर्दी टीपीपी | 6622.49 | 7215.82 | 7351.81 |
| | जवाहर सागर एचपीएस | 307.55 | 349.35 | 296.17 |
| | कालीसिंध टीपीएस | 5944.12 | 5982.76 | 1209.12 |
| | कवाई टीपीएस | 8289.27 | 8684.82 | 7866.36 |
| | कोटा टीपीएस | 7486.79 | 7789.95 | 8905.89 |
| | माही बजाज एचपीएस | 209.66 | 166.35 | 185.84 |
| | आर.पी. सागर एचपीएस | 448.78 | 518.1 | 381.32 |
| | राजस्थान ए.पी.एस. | 7472.6 | 8419.24 | 7722.39 |
| | रामगढ़ सीसीपीपी | 1425.72 | 1564.51 | 1218.94 |
| | सूरतगढ़ टीपीएस | 4474.99 | 5953.32 | 10094.07 |
| राजस्थान कुल | | 51792.17 | 53947.35 | 54185.92 |
| उत्तर प्रदेश | अनपरा सी टीपीएस | 8451.36 | 8638.3 | 8340.24 |
| | अनपरा टीपीएस | 15219.41 | 12168.82 | 10587.13 |
| | औरैया सीसीपीपी | 535.67 | 1511.32 | 1664.09 |
| | बरखेड़ा टीपीएस | 391.92 | 340.33 | 561.95 |
| | दादरी (एनसीटीपीपी) | 8765.46 | 10047.65 | 12284.72 |
| | दादरी सीसीपीपी | 2236.96 | 2999.99 | 2530.19 |
| | हरदुआगंज टीपीएस | 3825.11 | 3786.35 | 3601.08 |
| | खांबरखेड़ा टीपीएस | 375.3 | 320.78 | 527.56 |
| | खारा एचपीएस | 268.93 | 321.06 | 363.92 |
| | कुंदरकी टीपीएस | 460.8 | 374.44 | 536.81 |
| | ललितपुर टीपीएस | 3953.51 | 27.76 | |
| | मकसूदपुर टीपीएस | 417.24 | 312.59 | 527.59 |
| | माताटीला एचपीएस | 122.68 | 79.01 | 80.54 |
| | मेजा एसटीपीपी | | | |
| | नरौरा ए.पी.एस. | 3378.89 | 3432.6 | 2890.54 |
| | ओबरा एचपीएस | 216.71 | 160.09 | 229 |
| | ओबरा टीपीएस | 3842.06 | 3959.86 | 3593.23 |
| | पंकी टीपीएस | 762.6 | 535.99 | 981.96 |
| | परीछा टीपीएस | 6139.11 | 6767.63 | 6335.09 |
| | प्रयागराज टीपीपी | 4468.48 | 234.78 | |
| | रिहंद एचपीएस | 567.24 | 374.92 | 574.23 |
| | रिहंद एसटीपीएस | 21959.62 | 21054.66 | 21261.88 |
| | रोसा टीपीपी फेज-I | 7913.9 | 7059.64 | 8591.61 |
| | सिंगरौली एसटीपीएस | 15219.06 | 16270.51 | 14516.26 |
| | टांडा टीपीएस | 3241.42 | 3125.98 | 3161.39 |
| | ऊंचाहार टीपीएस | 6993.65 | 7013.1 | 7621.55 |
| | उतरौला टीपीएस | 415.02 | 411.37 | 539.18 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| उत्तर प्रदेश कुल | | 120142.11 | 111329.53 | 111901.74 |
| उत्तराखंड | छिन्नो (यमुना) एचपीएस | 714 | 813.78 | 872.1 |
| | चीला एचपीएस | 769.35 | 753.67 | 800.49 |
| | धकरानी एचपीएस | 120.19 | 136.86 | 149.41 |
| | धालीपुर एचपीएस | 180.4 | 205.06 | 231.14 |
| | धौलीगंगा एचपीएस | 956.13 | 1089.63 | 743.49 |
| | गामा सीसीपीपी | 492.43 | | |
| | काशीपुर सीसीपीपी | 476.58 | | |
| | खटीमा एचपीएस | 180.14 | 120.45 | 45.18 |
| | खोदरी एचपीएस | 333.29 | 375.94 | 406.99 |
| | कोटेश्वर एचपीएस | 1224.55 | 1248.05 | 1210.17 |
| | कुलहल एचपीएस | 122.2 | 138.98 | 156.16 |
| | मनेरीभाली-I एचपीएस | 349.22 | 486.53 | 379.14 |
| | मनेरीभाली-II एचपीएस | 1251.71 | 1229.06 | 888.92 |
| | रामगंगा एचपीएस | 180.94 | 502.53 | 269.83 |
| | श्रीनगर एचपीएस | 1280.75 | 901.37 | 0 |
| | टनकपुर एचपीएस | 430.29 | 452.36 | 446.71 |
| | टिहरी स्टे.-1 एचपीएस | 3146.32 | 3101 | 3023.55 |
| | विष्णुप्रयाग एचपीएस | 2042.05 | 1210.65 | 1815.94 |
| उत्तराखंड कुल | | 14250.54 | 12765.92 | 11439.22 |
| छत्तीसगढ़ | अकलतारा टीपीएस | 6732.49 | 6367.66 | 3305.03 |
| | अवंथा भंडार | 2819.44 | 1054.81 | 0 |
| | बाल्को टीपीएस | 3193.38 | 1580.97 | 0 |
| | बंधाखार टीपीपी | 1405.4 | 216.22 | |
| | बारदरहा टीपीएस | 7188.39 | 2477.12 | 292.36 |
| | भिलाई टीपीएस | 3651.19 | 3549.63 | 3241.1 |
| | बिंजकोट टीपीपी | 0 | | |
| | चाकबुरा टीपीपी | 242.94 | 259.93 | 223.09 |
| | डीएसपीएम टीपीएस | 3982.4 | 3985.52 | 3748.91 |
| | हसदियोबांगो एचपीएस | 153.76 | 323.3 | 258.18 |
| | कसाड़पाली टीपीपी | 2012.43 | 1906.35 | 1774.95 |
| | काटघोरा टीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| | कोरबा एसटीपीएस | 20364.88 | 20429.17 | 20060.75 |
| | कोरबा-II | 893.64 | 794.47 | 950.22 |
| | कोरबा-III | 1396.99 | 1444.23 | 1261.16 |
| | कोरबा-वेस्ट टीपीएस | 9235.86 | 9045.59 | 9632.12 |
| | लारा टीपीपी | | | |
| | मारवा टीपीएस | 2554.67 | 10.69 | 0 |
| | नवापारा टीपीपी | 714.27 | | |
| | ओपी ज़िंदल टीपीएस | 4482.79 | 5146.22 | 8112.66 |
| | पथाडी टीपीपी | 4448.61 | 2984.65 | 2239.46 |
| | रायखेडा टीपीपी | 763.34 | 790.23 | 21.65 |
| | रतिजा टीपीएस | 432.03 | 272.67 | 268.94 |
| | सलौरा टीपीपी | 0 | 0 | 137.12 |
| | सीपत एसटीपीएस | 23778.93 | 22286.31 | 21773.08 |
| | एसवीपीएल टीपीपी | 303.06 | 59.03 | 0 |
| | स्वास्तिक कोरबा टीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| | तमनार टीपीपी | 4797.7 | 4405.48 | 2409.79 |
| | उचपिंडा टीपीपी | 137.59 | 123.04 | |
| छत्तीसगढ़ कुल | | 105686.18 | 89513.29 | 79710.57 |
| गोवा | गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.) | 0 | 0 | 12.61 |
| गोवा कुल | | 0 | 0 | 12.61 |
| गुजरात | अकरीमोता लिग. टीपीएस | 1392.9 | 1427.42 | 1358.77 |
| | बड़ौदा सीसीपीपी | 135.09 | 235.87 | 38.24 |
| | भावनगर सीएफबीसी टीपीपी | 55.47 | | |
| | डीजीईएन मेगा सीपीपी | 1.02 | 2731.31 | 0 |
| | धुवरन सीसीपीपी | 306.76 | 416.44 | 153.03 |
| | एस्सार सीसीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| | गांधार सीसीपीपी | 2358.82 | 961.51 | 1608.53 |
| | गांधी नगर टीपीएस | 2172.33 | 2731.94 | 3390.7 |
| | जीआईपीसीएल जीटी आईएमपी | 203.42 | 181.59 | 182.63 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | हजीरा सीसीपीपी | 24.32 | 143.53 | 214.73 |
| | हजीरा सीसीपीपी एक्सटें. | 230.06 | 0 | 0 |
| | कदाना एचपीएस | 339.01 | 289.91 | 211.53 |
| | काकरापारा | 0 | 2028.17 | 3529.4 |
| | कवास सीसीपीपी | 1718.18 | 1212.39 | 1741.22 |
| | कच्छ लिग. टीपीएस | 1483.92 | 1621.38 | 1632.63 |
| | मुंद्रा टीपीएस | 30298.43 | 32992.96 | 30323.97 |
| | मुंद्रा यूएमटीपीपी | 27460.24 | 25679.75 | 26577.6 |
| | पेगुथान सीसीपीपी | 280.62 | 898.37 | 298.44 |
| | पीपावाव सीसीपीपी | 229.99 | 114.75 | 0 |
| | एस सरोवर सीएचपीएच एचपीएस | 876.34 | 704.55 | 611.67 |
| | एस सरोवर आरबीपीएच एचपीएस | 2332.87 | 1465.88 | 2297.75 |
| | साबरमती (सी स्टेशन) | 0 | 51.81 | 356.31 |
| | साबरमती (डी-एफ स्टेशन) | 2759.1 | 2389.46 | 2626.57 |
| | सलाया टीपीपी | 5213.21 | 4985.84 | 6609.27 |
| | सिक्का आरईपी टीपीएस | 2148.22 | 1203.75 | 945.92 |
| | सुजैन सीसीपीपी | 4771.5 | 3512.11 | 2600.64 |
| | सूरत लिग. टीपीएस | 3178.22 | 3077.99 | 3266.61 |
| | उकई एचपीएस | 395.66 | 491.51 | 690.63 |
| | उकई टीपीएस | 5296.15 | 5555.01 | 6703.61 |
| | उनोसुजैन सीसीपीपी | 0 | 876.14 | 0 |
| | उतरन सीसीपीपी | 157.14 | 1271.97 | 133.53 |
| | वानकबोरी टीपीएस | 3929.62 | 5663.95 | 7434.61 |
| गुजरात कुल | | 99748.61 | 104917.26 | 105538.54 |
| मध्य प्रदेश | अमरकंटक एक्सटें टीपीएस | 1481.04 | 1785.72 | 2264.09 |
| | अनूपपुर टीपीपी | 3760.16 | 2890.72 | |
| | बानसागर टोन्स-I एचपीएस | 1239.02 | 574.48 | 1081.36 |
| | बानसागर टोन्स-II एचपीएस | 109.73 | 107.48 | 86.09 |
| | बानसागर टोन्स-III एचपीएस | 53.48 | 39.88 | 121.05 |
| | बारगी एचपीएस | 445.47 | 328.1 | 498.46 |
| | बीना टीपीएस | 812.85 | 1307.77 | 2444.91 |
| | गांधी सागर एचपीएस | 351 | 383.05 | 272.15 |
| | इंदिरा सागर एचपीएस | 3320.79 | 1974.21 | 2541.9 |
| | मधिखेड़ा एचपीएस | 147.21 | 92.16 | 97.16 |
| | महान टीपीपी | 2629.2 | 0 | 450.69 |
| | निगरी टीपीपी | 7266.96 | 5346.18 | 1758.18 |
| | निवारी टीपीपी | 237.26 | 141.96 | 337.16 |
| | ओंकारेश्वर एचपीएस | 1427.7 | 955.01 | 1128.92 |
| | पैच एचपीएस | 360.14 | 378.51 | 390.13 |
| | राजघाट एचपीएस | 62.26 | 36.94 | 82.53 |
| | संजय गांधी टीपीएस | 6843.25 | 7052.76 | 6823 |
| | सासन यूएमटीपीपी | 29414.72 | 31262.34 | 17273.83 |
| | सतपुरा टीपीएस | 3644.9 | 5508.86 | 6161.43 |
| | सिओनी टीपीपी | 311.25 | 3.96 | |
| | श्री सिंगाजी टीपीपी | 2474.65 | 4250.48 | 1825.7 |
| | विंध्याचल एसटीपीएस | 32206.94 | 31319.93 | 29573.73 |
| मध्य प्रदेश कुल | | 98599.98 | 95740.5 | 75212.47 |
| महाराष्ट्र | अमरावती टीपीएस | 1874.7 | 6179.55 | 2142.32 |
| | बेला टीपीएस | 0 | 0 | 0 |
| | भंडारधारा एचपीएस स्टे.-II | 47.12 | 82.55 | 65.4 |
| | भीरा एचपीएस | 379.14 | 316.33 | 330.91 |
| | भीरा पीएसएस एचपीएस | 572.49 | 324.01 | 506.16 |
| | भीरा टेल रेस एचपीएस | 101.58 | 73.87 | 91.25 |
| | भिवपुरी एचपीएस | 206.59 | 196.92 | 300.68 |
| | भुसावल टीपीएस | 6120.56 | 8086.67 | 5893.09 |
| | बुटीबोरी टीपीपी | 3742.52 | 4030.17 | 3644.48 |
| | चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस | 14941.77 | 12361.37 | 12507.39 |
| | दहानु टीपीएस | 3742.55 | 3824.84 | 3997.22 |
| | धारीवाल टीपीपी | 1541.71 | 369.16 | 475.68 |
| | जीईपीएल टीपीपी फेज-1 | 0 | 0 | 0 |
| | घाटघर पीएसएस एचपीएस | 383.87 | 301.86 | 320.25 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | जीएमआर वारोरा टीपीएस | 3703.42 | 4006.78 | 3614.9 |
| | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 6681.86 | 8395.1 | 7639.71 |
| | खापरखेड़ा टीपीएस | 7714.77 | 8157.5 | 8260.6 |
| | खोपोली एचपीएस | 307.24 | 261.23 | 303.75 |
| | कोराडी टीपीएस | 5853.85 | 3041.69 | 2330.88 |
| | कोयना डीपीएच एचपीएस | 156.02 | 136.47 | 93.41 |
| | कोयना-I एचपीएस | 640.51 | 615.27 | 580.72 |
| | कोयना-II एचपीएस | 649.7 | 624.35 | 582.72 |
| | कोयना-III एचपीएस | 614.14 | 534.04 | 588.21 |
| | कोयना-IV एचपीएस | 1245.48 | 1066.69 | 1206.74 |
| | मनगांव सीसीपीपी | 215.44 | | |
| | मौदा टीपीएस | 4305.65 | 1875.66 | 2310.91 |
| | महान टीपीएस | 0 | 0 | 0 |
| | नासिक (पी) टीपीएस | 0.72 | 0 | 0 |
| | नासिक टीपीएस | 3328.71 | 4327.81 | 4202.05 |
| | पारस टीपीएस | 2988.82 | 3512.44 | 2930.31 |
| | पारली टीपीएस | 1627.09 | 1320.21 | 4583.14 |
| | रत्नागिरी सीसीपीपी | | | |
| | रत्नागिरी सीसीपीपी-II | 2438.41 | 765.81 | 0 |
| | रत्नागिरी सीसीपीपी-III | 2119.31 | 467.86 | 0 |
| | शीरपुर टीपीपी | | | |
| | सोलापुर एसपीएस | 0 | | |
| | तारापुर | 10860.2 | 10389.14 | 10269.89 |
| | तिल्लारी एचपीएस | 106.16 | 44.16 | 113.86 |
| | तिरौरा टीपीएस | 17642.56 | 20079.7 | 16470.15 |
| | ट्रॉम्बे सीसीपीपी | 1413.14 | 1179.74 | 1148.5 |
| | ट्रॉम्बे टीपीएस | 4980.93 | 5428.92 | 4860.42 |
| | उरन सीसीपीपी | 3294.56 | 2886.5 | 3567.16 |
| | वैतर्णा एचपीएस | 153.52 | 122.62 | 203.82 |
| | वर्धा वरौरा टीपीपी | 1394.9 | 1857.44 | 1172.53 |
| महाराष्ट्र | | 118091.71 | 117244.43 | 107309.21 |
| आंध्र प्रदेश | दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस | 8804.65 | 5013.38 | 1082.2 |
| | डॉ एन. टाटा राव टीपीएस | 11652.38 | 12072.53 | 12788.66 |
| | गौतमी सीसीपीपी | 0 | 104.33 | 0 |
| | जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा | 0 | 0 | 0 |
| | गोदावरी सीसीपीपी | 1008.75 | 552.67 | 546.21 |
| | जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी) | 643.51 | 589.64 | |
| | जेगुरुपुडु सीसीपीपी | | 869.66 | 589.73 |
| | जेगुरुपुडु फेज-I सीसीपीपी | 924.13 | | |
| | जेगुरुपुडु फेज-II सीसीपीपी | 75.08 | | |
| | कोनासीमा सीसीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| | कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी | 157.32 | 972.02 | 0 |
| | कोंडापल्ली सीसीपीपी | 850.27 | 484.5 | 574.71 |
| | कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी | 1266.11 | 615.55 | |
| | एलवीएस पावर डीजी | 0 | 0 | 0 |
| | नागार्जुन सागर टीपीडी एचपीएस | 7.35 | 0 | 0 |
| | नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस | 4.15 | 0 | 187.29 |
| | पैनमपुरम टीपीपी | 9059.4 | 6889.03 | 5.6 |
| | पेड्डापूरम सीसीपीपी | 0 | 25 | 186.59 |
| | रायलसीमा टीपीएस | 6711.64 | 7292.52 | 7163.71 |
| | एसजीपीएल टीपीपी | 1658.6 | | |
| | सिम्हाद्री | 14173.49 | 14469.64 | 15025.53 |
| | सिम्हापुरी टीपीएस | 1617.72 | 4122.85 | 3203.71 |
| | श्रीशैलम एचपीएस | 640.61 | 206.05 | 1152.73 |
| | थामिनापट्टनम टीपीएस | 1373.63 | 1699.09 | 1552.46 |
| | अपर सिलेरू एचपीएस | 340.41 | 465.28 | 522.46 |
| | वेमागिरी सीसीपीपी | 305.33 | 620.46 | 0 |
| | विजेश्वरम सीसीपीपी | 691.1 | 701.68 | 663.83 |
| | विजाग टीपीपी | 3282.53 | 464.71 | 0 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | 65248.16 | 58230.59 | 45245.42 |
| कर्नाटक | अलमत्ती डीपीएच एचपीएस | 404.05 | 145.16 | 483.01 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | बेल्लारी डीजी | 0 | 0 | 0 |
| | बेल्लारी टीपीएस | 6402.37 | 6133.82 | 5807.03 |
| | भद्रा एचपीएस | 27.06 | 40.08 | 50.59 |
| | गेरुसुप्पा एचपीएस | 276.6 | 303.19 | 556.9 |
| | घाटप्रभा एचपीएस | 48.74 | 31.94 | 66.04 |
| | हम्पी एचपीएस | 0.1 | 8.42 | 2.05 |
| | जोग एचपीएस | 288.25 | 318.36 | 346.89 |
| | कद्रा एचपीएस | 176.42 | 220.48 | 405.14 |
| | कैगा | 6533.49 | 7672.71 | 6462.17 |
| | कालिंदी एचपीएस | 1344.82 | 1948.48 | 3255.42 |
| | कालिंदी सुपा एचपीएस | 239.2 | 324.94 | 453.32 |
| | कोडासली एचपीएस | 154.16 | 203.26 | 385.76 |
| | कुडगी एसटीपीपी | 25.49 | | |
| | तिम्नामक्की एचपीएस | 105.64 | 118.94 | 256.27 |
| | मुनीराबाद एचपीएस | 31.49 | 61.83 | 107.2 |
| | रायचूर टीपीएस | 11495.67 | 11423.63 | 10979.42 |
| | शारावथी एचपीएस | 2708.77 | 2664.5 | 5255.46 |
| | शिवसमुद्रम एचपीएस | 145.14 | 216.46 | 221.92 |
| | टीबी डैम एचपीएस | 81.16 | 120.94 | 182.6 |
| | टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-I) | 1714.95 | 2184.71 | 2228.52 |
| | टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-II) | 2700.39 | 4571.51 | 5111.28 |
| | उडुपी टीपीपी | 7875.42 | 8086.45 | 6414.58 |
| | वराही एचपीएस | 740.75 | 752.39 | 1131.72 |
| | येलहांका (डीजी) | 0 | 0 | 0 |
| | येरमारस टीपीपी | 246.54 | 1.05 | |
| कर्नाटक कुल | | 43766.67 | 47553.25 | 50163.29 |
| केरल | ब्रह्मपुरम डीजी | 5.53 | 13.57 | 8.42 |
| | कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.) | 0 | 0 | 154.71 |
| | इदमलायर एचपीएस | 171.72 | 273 | 372.66 |
| | इदुक्की एचपीएस | 1380.06 | 2372.4 | 2494.2 |
| | कक्कड एचपीएस | 131.68 | 184.22 | 192.94 |
| | कोझीकोड डीजी | 42.19 | 133.27 | 199.27 |
| | कुट्टीयाडी एचपीएस | 327.24 | 559.24 | 740.47 |
| | कुट्टीयाडी एडिशि.एक्सटें. एचपीएस | 151.48 | 18.81 | 0 |
| | लोअर पेरियार एचपीएस | 307.23 | 510.72 | 577.15 |
| | नारीमंगलम एचपीएस | 197.3 | 350.5 | 343.3 |
| | पल्लीवसल एचपीएस | 166.05 | 218.69 | 211.66 |
| | पनियार एचपीएस | 62.33 | 174.3 | 154.9 |
| | पोरिंगलकुडू एचपीएस | 91.1 | 159.7 | 151.02 |
| | आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.) | 15.4 | 142.75 | 819.12 |
| | साबरिगिरी एचपीएस | 798.79 | 1171.17 | 1224.73 |
| | संगुलम एचपीएस | 115.66 | 160.99 | 151.37 |
| | शोलायर एचपीएस | 166.85 | 210.01 | 238.25 |
| केरल कुल | | 4130.61 | 6653.34 | 8034.17 |
| पुडुचेरी | कराईकल सीसीपी | 246.84 | 227.59 | 102.14 |
| पुडुचेरी कुल | | 246.84 | 227.59 | 102.14 |
| तमिलनाडु | अलियार एचपीएस | 61.73 | 152.96 | 158.35 |
| | बी. ब्रिज डीजी | 0 | 2.14 | 576.26 |
| | बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.) | 10.98 | 8.72 | 2.85 |
| | भवानी बैराज-III एचपीएस | 17.47 | 5.68 | 0 |
| | भवानी बैराज-II एचपीएस | 19.83 | 7.03 | 137.56 |
| | भवानी कट्टल | 20.59 | 156.51 | 67.9 |
| | एन्नोर टीपीएस | 191.99 | 442.31 | 621.52 |
| | आईटीपीसीएल टीपीपी | 4975.7 | 1131.38 | |
| | कदमपरी एचपीएस | 289.39 | 412.63 | 502.5 |
| | करुपपुर सीसीपीपी | 478.97 | 632.85 | 578.81 |
| | कोडायार एचपीएस | 169.43 | 278.58 | 202.02 |
| | कोविकलपल सीसीपीपी | 348 | 399.1 | 413.72 |
| | कुडनकुलम | 6466.02 | 2261.26 | 2610.52 |
| | कुडहा एचपीएस | 815.61 | 1372.44 | 1550.67 |
| | कुडलम सीसीपीपी | 380.17 | 564.24 | 497.35 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | लोअर मेडूर एचपीएस | 92.27 | 223.37 | 266.7 |
| | मद्रास ए.पी.एस. | 3204.67 | 3210.5 | 2616.63 |
| | मैडूर डैम एचपीएस | 44.75 | 92.44 | 107 |
| | मेडूर टीपीएस | 9177.43 | 9903.94 | 9232.89 |
| | मैडूर टनल एचपीएस | 80.73 | 248.99 | 335.62 |
| | मोयार एचपीएस | 61.52 | 103.64 | 144.73 |
| | मथियारा टीपीपी | 3749.1 | 2788.76 | 1092.69 |
| | नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस | 3328.33 | 3269.52 | 3385.03 |
| | नैवेली टीपीएस-I | 3696.52 | 3161.04 | 3631.34 |
| | नैवेली टीपीएस (जेड) | 1078.69 | 1476.81 | 1828.12 |
| | नैवेली टीपीएस-II | 11052.08 | 10582.62 | 11131.39 |
| | नैवेली टीपीएस-II एक्सपें. | 1373.25 | 851.13 | 180.08 |
| | नॉर्थ चेन्नई टीपीएस | 10092.3 | 10947.51 | 9850.57 |
| | पी. नल्लूर सीसीपीपी | 189.35 | 150.76 | 1171.37 |
| | पपानासम एचपीएस | 66.54 | 116.57 | 118.23 |
| | पर्सन्स वैली एचपीएस | 23.95 | 25.63 | 34.83 |
| | पेरियार एचपीएस | 93.91 | 504.78 | 527.56 |
| | पाडकारा एचपीएस | 12.74 | 56.89 | 39 |
| | पाडकारा अल्टीमेट एचपीएस | 192.55 | 280.56 | 367.03 |
| | समलपट्टी डीजी | 0 | 37.39 | 224.36 |
| | समयानल्लूर डीजी | 12.01 | 36.7 | 245.35 |
| | सरकारपथी एचपीएस | 63.29 | 79.28 | 134.24 |
| | शौलायर एचपीएस (टीएन) | 228.11 | 263.79 | 261.58 |
| | सुरूलियार एचपीएस | 42.71 | 92.5 | 103.43 |
| | तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी | 6252.04 | 3558.11 | 6.79 |
| | तूतीकोरिन (पी) टीपीपी | 23.62 | 800.4 | 1428.17 |
| | तूतीकोरिन टीपीएस | 5547.59 | 7082.47 | 7673.24 |
| | वालंटरवी सीसीपीपी | 378.18 | 195.09 | 378.8 |
| | वल्लूर टीपीपी | 9210.86 | 7716.79 | 5912.65 |
| | वलुथूर सीसीपीपी | 966.71 | 721.02 | 1068.96 |
| तमिलनाडु कुल | | 84581.68 | 76406.83 | 71418.41 |
| तेलंगाना | काकातिया टीपीएस | 6578.52 | 3632 | 4106.3 |
| | कोथागुडेम टीपीएस | 3964.11 | 4433.29 | 4428.57 |
| | कोथागुडेम टीपीएस (न्यू) | 6586.16 | 6636.28 | 7331.6 |
| | लोअर जुराला एचपीएस | 176.34 | 8.98 | 0 |
| | लोअर सिलेरू एचपीएस | 831.9 | 1233.14 | 1287.11 |
| | नागार्जुन सागर एचपीएस | 186.15 | 88.15 | 1032.63 |
| | नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस | 0 | 0 | 42.07 |
| | पोचमपड एचपीएस | 75.29 | 0 | 12.87 |
| | प्रियदशिनी जुराला एचपीएस | 211.99 | 30.42 | 224.65 |
| | पुलीचिताला एचपीएस | 13 | | |
| | रामागुंडम-बी टीपीएस | 453.7 | 399.4 | 193.4 |
| | रामागुंडम एसटीपीएस | 19597.52 | 20250.59 | 20441.18 |
| | सिंगरेनी टीपीपी | 4099.33 | 1.17 | |
| | श्रीशैलम एलबी एचपीएस | 617.22 | 154.78 | 1801.59 |
| तेलंगाना कुल | | 43391.23 | 36868.2 | 40901.97 |
| अंडमान निकोबार | अंड. निकोबार डीजी | 215.56 | 182.85 | 153.76 |
| अंडमान निकोबार कुल | | 215.56 | 182.85 | 153.76 |
| बिहार | बरौनी टीपीएस | 131.42 | 0 | 0 |
| | बाढ़-II | 7642.01 | 4769.88 | 1758.05 |
| | कहलगाँव टीपीएस | 15947.93 | 15275.13 | 15618.7 |
| | मुजफ्फरपुर टीपीएस | 793.49 | 781.87 | 895.52 |
| | नबी नगर टीपीपी | 0 | 0.13 | |
| बिहार कुल | | 24514.85 | 20827.01 | 18272.27 |
| डीवीसी | बोकारो बी टीपीएस | 1456.68 | 1859.93 | 1634.38 |
| | बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपी | 208 | 0.3 | |
| | चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस | 5642.7 | 5078.72 | 4977.56 |
| | दुर्गापुर स्टील टीपीएस | 6655.77 | 4440.54 | 3862.72 |
| | दुर्गापुर टीपीएस | 592.72 | 904.28 | 1301.68 |
| | कोडरमा टीपीपी | 3801.77 | 3326.82 | 1856.38 |
| | मैथॉन एचपीएस | 122.03 | 107.54 | 138.04 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | मेजिया टीपीएस | 12936.78 | 11985.29 | 11638.82 |
| | पंचेट एचपीएस | 133.51 | 68.97 | 129.26 |
| | रघुनाथपुर टीपीपी | 2016.51 | 257.54 | 12.27 |
| डीवीसी कुल | | 33566.47 | 28029.93 | 25551.11 |
| झारखंड | जोजोबेरा टीपीएस | 2274.02 | 2519.59 | 2537.54 |
| | महादेव प्रसाद एसटीपीपी | 3257.47 | 2925.9 | 2212.58 |
| | मैथॉन आरबी टीपीपी | 7356.63 | 7206.18 | 6684.08 |
| | पतरातु टीपीएस | 385.88 | 594.02 | 773.68 |
| | सुबर्णरेखा एचपीएस | 30.13 | 51.24 | 33.73 |
| | टेनुघाट टीपीएस | 1423.3 | 2636.74 | 2380.27 |
| झारखंड कुल | | 14727.43 | 15933.67 | 14621.88 |
| ओडिशा | बालीमेला एचपीएस | 1001.38 | 622.02 | 1339.23 |
| | देरांग टीपीपी | 6515.3 | 6243.6 | 515.45 |
| | हीराकुड एचपीएस | 716.97 | 683.88 | 887.1 |
| | आईबी वैली टीपीएस | 3235.67 | 3117.33 | 2798.93 |
| | आईसीसीएल (आईएमएफए) आईएमपी | 320.25 | 620.83 | 290.34 |
| | कमलंगा टीपीएस | 5932.79 | 6235.01 | 4838.77 |
| | मचकुंद एचपीएस | 700.31 | 477.47 | 519.79 |
| | नाल्को आईएमपी | 315.43 | 298.8 | 256.44 |
| | रेगाली एचपीएस | 553.56 | 599.46 | 742.46 |
| | स्टेरलाइट टीपीपी | 7801.53 | 8077.03 | 8230.49 |
| | तालचर (ओल्ड) टीपीएस | 3759.53 | 3730.75 | 3783.88 |
| | तालचर एसटीपीएस | 22847.48 | 23966.53 | 23698.65 |
| | अपर इंद्रावती एचपीएस | 1521.64 | 1760.44 | 2696.43 |
| | अपर कोलाब एचपीएस | 619.34 | 767.07 | 734.48 |
| | उत्कल टीपीपी (इंड बराथ) | 0 | 21.58 | 0 |
| ओडिशा कुल | | 55841.18 | 57221.8 | 51332.44 |
| सिक्किम | चूजाचैन एचपीएस | 494.75 | 421.43 | 430.86 |
| | दिक्चू एचपीएस | | | |
| | जोरथॉंग लूप | 405.63 | 75.06 | 0 |
| | रंगित एचपीएस | 347.14 | 345.27 | 327.68 |
| | ताशिडिंग एचपीएस | 0 | | |
| | तीस्ता-V एचपीएस | 2773.46 | 2710.16 | 2586.75 |
| | तीस्ता-III एचपीएस | 309.42 | 0 | 0 |
| सिक्किम कुल | | 4330.4 | 3551.92 | 3345.29 |
| पश्चिम बंगाल | बकरेश्वर टीपीएस | 7050.54 | 6669.45 | 8010.81 |
| | बदेल टीपीएस | 1885.02 | 1108.02 | 1094.79 |
| | बज बज टीपीएस | 5410.75 | 5793.34 | 5852.54 |
| | डी.पी.एल. टीपीएस | 2143.41 | 1983.35 | 1408.04 |
| | फरक्का एसटीपीएस | 13743.98 | 12360.43 | 13378.93 |
| | हल्दिया जीटी (लिक्वि.) | 0 | 0 | 0 |
| | हल्दिया टीपीपी | 4015.49 | 3633.26 | 356.23 |
| | हिरनमये टीपीपी | | | |
| | जलढाका एचपीएस स्टै.-I | 205.46 | 173.37 | 109.42 |
| | कसबा जीटी (लिक्वि.) | 0 | 0 | 0 |
| | कोलाघाट टीपीएस | 6038 | 5766.12 | 7199.03 |
| | न्यू कोसीपूर टीपीएस | 0 | 0 | 68.95 |
| | पुरुलिया पीएसएस एचपीएस | 1106.97 | 1064.56 | 1408.85 |
| | रम्माम एचपीएस | 248.42 | 253.77 | 237.35 |
| | सागरदिघी टीपीएस | 4877.43 | 2715.22 | 4104.27 |
| | संतालडिह टीपीएस | 3667.33 | 3697.01 | 3444.17 |
| | सदर्न रिप. टीपीएस | 410.68 | 531.26 | 990.2 |
| | तीस्ता लो डैम-III एचपीएस | 553.87 | 514.86 | 394.19 |
| | तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस | 602.53 | 18.77 | 0 |
| | टीटागढ़ टीपीएस | 232.81 | 663.83 | 1684.25 |
| पश्चिम बंगाल कुल | | 52192.69 | 46946.62 | 49742.02 |
| अरुणाचल प्रदेश | पारे एचपीएस | 0 | | |
| | रंगानदी एचपीएस | 1249.01 | 1280.25 | 1109.48 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल | | 1249.01 | 1280.25 | 1109.48 |
| असम | बोंगाईगांव टीपीपी | 1680.27 | 117.12 | |
| | कारबी लांगपी एचपीएस | 396.59 | 408.88 | 402.43 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | कथलगुड़ी सीसीपीपी | 1572.63 | 1758.83 | 1741.04 |
| | कोपिली एचपीएस | 1088.27 | 781.8 | 629.46 |
| | लकवा जीटी | 888.73 | 947.86 | 935.26 |
| | एलआरपीपी जीटी | | | |
| | नामरूप सीसीपीपी | 354.88 | 507.63 | 515.14 |
| | नामरूप एसटी | | | 76.51 |
| असम कुल | | 5981.37 | 4522.12 | 4299.84 |
| मणिपुर | लीमाखोंग डीजी | 0 | 0 | 0 |
| | लोकटक एचपीएस | 741.07 | 536.64 | 372.44 |
| मणिपुर कुल | | 741.07 | 536.64 | 372.44 |
| मेघालय | खोंडोंग एचपीएस | 197.1 | 175.05 | 87.86 |
| | किरदमकुई एचपीएस | 65.29 | 117.51 | 113.1 |
| | मिटडू (लेशका) स्टेट-1 एचपीएस | 391.65 | 444.35 | 408.98 |
| | न्यू उमतरू एचपीएस | 0 | 0 | |
| | उमियम एचपीएस स्टेट-I | 96.65 | 114.09 | 90.46 |
| | उमियम एचपीएस स्टेट-IV | 166.01 | 184.99 | 162.75 |
| मेघालय कुल | | 916.7 | 1035.99 | 863.15 |
| मिजोरम | तुरियल एचपीएस | | | |
| मिजोरम कुल | | | | |
| नागालैंड | दोयांगल एचपीएस | 258.94 | 163.14 | 165.15 |
| नागालैंड कुल | | 258.94 | 163.14 | 165.15 |
| त्रिपुरा | अगरतला जीटी | 904.58 | 763.64 | 627.84 |
| | बारामुरा जीटी | 188.25 | 232.92 | 306.03 |
| | मोनार्चक सीसीपीपी | 172.05 | 127.06 | 0.7 |
| | रोखिया जीटी | 435.94 | 506.3 | 420.43 |
| | त्रिपुरा सीसीपीपी | 4173.07 | 3479.46 | 2469.44 |
| त्रिपुरा कुल | | 5873.89 | 5109.38 | 3824.44 |
| भूटान (आयात) | भूटान (आयात) | 5617.34 | 5244.21 | 5007.74 |
| भूटान (आयात) कुल | | 5617.34 | 5244.21 | 5007.74 |
| सकल जोड़ | | 1160140.94 | 1107822.28 | 1048672.96 |

1. सकल उत्पादन केवल पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) के 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से है।

2. ऊपर दिए गए आंकड़ें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-338

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम

*338. श्रीमती अंजू बाला:

श्री एल.आर. शिवराम गौड़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के आरंभ होने के समय से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या एसएलएनपी वर्तमान में मात्र कुछेक चुनिंदा राज्यों में ही कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) एसएलएनपी के अंतर्गत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगाने हेतु एनर्जी एफिशियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ अब तक समझौता कर चुके कुल स्थानीय निकायों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा एसएलएनपी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उठाये जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

माननीय प्रधानमंत्री ने मार्च, 2019 तक 1.34 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए 05 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम का (एसएलएनपी) शुरुआत की थी। एसएलएनपी का कार्यान्वयन एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, द्वारा किया जा रहा है। आज तक ईईएसएल ने 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 76.77 लाख से अधिक की एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

2. एसएलएनपी एक स्वैच्छिक प्रकृति का कार्यक्रम है और भारत सरकार से किसी भी बजटीय सहायता के बिना चलाया जाता है। एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति, संस्थापना एवं रख-रखाव में पूरा निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है। ईईएसएल को भुगतान सात वर्षों की अवधि में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई स्ट्रीट लाइटों के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी बिलों एवं रख-रखाव की लागत में कमी के संबंध में हुई परिणामी बचतों से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा किया जाता है।

3. एसएलएनपी उन राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित की जाती है जिन्होंने ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, यह कार्यक्रम 13 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के सभी शहरी स्थानीय निकायों में (अनुबंध-I) और 11 अन्य राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से (अनुबंध-II), उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित जहाँ प्रदर्शन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं, कार्यान्वित किया जाता है।

4. एसएलएनपी अभी तक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं मेघालय राज्यों में और दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं की गई है।

5. अभी तक, कुल 1492 शहरी स्थानीय निकायों ने एलईडी स्ट्रीट लाइटों से परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों में से, 712 शहरी स्थानीय निकायों में संस्थापना कार्य पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम के लिए ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

6. ईईएसएल ने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में एसएलएनपी के कार्यान्वयन पर अध्ययन कराए हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का सार अनुबंध-IV में दिया गया है।

7. एसएलएनपी के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ईईएसएल/सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) ईईएसएल ने शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइटों से परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं।
- (ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को उनके संबंधित राज्यों में एसएलएनपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सचिव (विद्युत) द्वारा पत्र जारी किए गए हैं।
- (iii) केंद्रीयकृत नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के निष्पादन की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है।

अनुबंध-1

“स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों की सूची, जहाँ ईईएसएल के साथ हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों में एसएलएनपी कार्यान्वित किया गया है:

| क्र.सं. | राज्य | अब तक संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या |
|---------|---------------|--|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21,81,615 |
| 2. | बिहार | 1,50,203 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 3,47,251 |
| 4. | गोवा | 2,06,790 |
| 5. | गुजरात | 8,83,097 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 52,404 |
| 7. | झारखंड | 93,742 |
| 8. | महाराष्ट्र | 1,75,146 |
| 9. | ओडिशा | 2,70,271 |
| 10. | राजस्थान | 9,61,229 |
| 11. | तेलंगाना | 8,17,878 |
| 12. | त्रिपुरा | 75,376 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 7,74,549 |

संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, जहाँ ईईएसएल के साथ हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों में एसएलएनपी कार्यान्वित किया गया है:

| क्र.सं. | संघ राज्य क्षेत्र | अब तक संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या |
|---------|-------------------|--|
| 1. | चंडीगढ़ | 41,942 |

अनुबंध-II

“स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों की सूची, जहाँ ईईएसएल के साथ हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार के अनुसार कुछ शहरी स्थानीय निकायों में आंशिक रूप से एसएलएनपी कार्यान्वित किया गया है:

| क्र.सं. | राज्य | अब तक संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या |
|---------|------------------|--|
| 1. | असम | 23,651 |
| 2. | हरियाणा | 61,500 |
| 3. | जम्मू एवं कश्मीर | 11,991 |
| 4. | कर्नाटक | 9,882 |
| 5. | केरल | 38,301 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 81,095 |
| 7. | पंजाब | 46,780 |
| 8. | सिक्किम | 868 |
| 9. | तमिलनाडु | 6,689 |
| 10. | उत्तराखंड | 30,619 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 15,307 |

संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, जहाँ ईईएसएल के साथ हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार के अनुसार कुछ शहरी स्थानीय निकायों में आंशिक रूप से एसएलएनपी कार्यान्वित किया गया है

| क्र.सं. | संघ राज्य क्षेत्र | अब तक संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या |
|---------|-------------------|--|
| 1. | दिल्ली | 3,05,082 |
| 2. | अंडमान व निकोबार | 13,500 |
| 3. | पुडुचेरी | 450 |

अनुबंध-III

“स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

एलईडी स्ट्रीट लाइटों से परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अब तक हस्ताक्षर करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या |
|------------|-------------------------|--|
| 1. | अंडमान व निकोबार | 1 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 108 |
| 3. | असम | 3 |
| 4. | बिहार | 143 |
| 5. | चंडीगढ़ | 1 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 168 |
| 7. | गोवा | 14 |
| 8. | गुजरात | 148 |
| 9. | हरियाणा | 1 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 48 |
| 11. | झारखंड | 43 |
| 12. | केरल | 4 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2 |
| 14. | महाराष्ट्र | 351 |
| 15. | नई दिल्ली | 1 |
| 16. | ओडिशा | 109 |
| 17. | पंजाब | 16 |
| 18. | राजस्थान | 191 |
| 19. | तेलंगाना | 76 |
| 20. | त्रिपुरा | 20 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 43 |
| 22. | उत्तराखंड | 1 |
| कुल | | 1,492 |

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निदर्शन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं।

अनुबंध-IV

“स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम” के बारे में लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में मामला अध्ययनों के निष्कर्षों का सार निम्नानुसार है:

1. **हिमाचल प्रदेश:** नमूना आधार पर ईईएसएल द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के माध्यम से हुई ऊर्जा एवं वित्तीय बचतें निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं. | शहर | कुल संस्थापित लाइटें | परंपरागत लाइटों के साथ मासिक ऊर्जा खपत (केडब्ल्यूएच में) | एलईडी के साथ मासिक ऊर्जा खपत (केडब्ल्यूएच में) | मासिक ऊर्जा बचत (केडब्ल्यूएच में) | बचत % | प्रति माह वित्तीय बचत (रुपये में) |
|------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. | शिमला | 8,516 | 3,58,082 | 1,58,199 | 1,99,883 | 56% | 9,89,419 |
| 2. | धर्मशाला | 2,910 | 1,20,345 | 52,495 | 67,850 | 56% | 3,35,859 |
| 3. | मंडी | 2,189 | 80,003 | 34,917 | 45,086 | 56% | 2,23,174 |
| 4. | सुंदरनगर | 1,821 | 62,822 | 27,023 | 35,799 | 57% | 1,77,205 |
| 5. | पौंटा साहिब | 1,948 | 1,14,525 | 50,654 | 63,871 | 56% | 3,16,159 |
| 6. | धुमरबिन | 608 | 22,645 | 9,911 | 12,734 | 56% | 63,033 |
| 7. | मनाली | 798 | 40,912 | 18,876 | 22,036 | 54% | 1,09,079 |
| कुल | | 18,790 | 7,99,334 | 3,52,075 | 4,47,258 | 56% | 22,13,928 |

(प्रतिदिन औसत प्रचालन घंटे 11 माने गए हैं; वित्तीय बचत की गणना 4.95 रुपये प्रति किलो वाट घंटा की यूनिट दर मानते हुए डीमंड बचत दृष्टिकोण के आधार पर की गई है।)

2. **राजस्थान:**

- (i) **झालावाड़ स्ट्रीट लाइट परियोजना:** नमूना आधार पर ईईएसएल द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार झालावाड़ में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा बचतें निम्नानुसार हैं:

| परंपरागत स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| क्र.सं. | लैम्प की पूर्व क्षमता (वाट) | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-400 | 36 | 16 |
| 2. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-250 | 120 | 33 |
| 3. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-150 | 140 | 23 |
| 4. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-70 | 157 | 13 |
| 5. | फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट-40 | 1624 | 78 |
| 6. | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-20 | 372 | 7 |
| कुल किलोवाट | | | 170 |

| संस्थापना के बाद एलईडी स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या | | | |
|---|----------------------|--------|-------------|
| क्र.सं. | एलईडी लाइट की क्षमता | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1. | 190 | 36 | 7 |
| 2. | 120 | 120 | 14 |
| 3. | 72 | 140 | 10 |
| 4. | 40 | 157 | 6 |
| 5. | 18 | 1,624 | 29 |
| 6. | 12 | 372 | 4 |
| कुल किलोवाट (नई) | | | 71 |

| ऊर्जा बचत क्षमता का प्राक्कलन | |
|--|-----------|
| पूर्व भार (किलोवाट में) | 170 |
| नया भार (किलोवाट में) | 71 |
| संस्थापना के बाद भार में कमी (किलोवाट में) | 99 |
| वार्षिक ऊर्जा बचत (किलोवाट में) | 39,58,863 |
| वार्षिक ऊर्जा बचत (एमयू में) | 0.396 |
| भार में कमी % | 58% |

(प्रतिदिन औसत प्रचालन घंटे 11 माने गए हैं और प्रचालन दिवस 365 माने गए हैं)

झालावाड़ में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन से स्ट्रीट लाइट लोड 170 किलोवाट से घटकर 71 किलोवाट हो गया है।

(ii) माउंट आबू स्ट्रीट लाइट परियोजना: नमूना आधार पर ईईएसएल द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट आबू में स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा बचतें निम्नानुसार हैं:

| परंपरागत स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| क्र.सं. | लैम्प की पूर्व क्षमता (वाट) | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-400 | 106 | 42.4 |
| 2. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-250 | 43 | 10.8 |
| 3. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-150 | 492 | 73.8 |
| 4. | हाई प्रेशर सोडियम वेपर-70 | 144 | 10.1 |
| 5. | फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट-40 | 508 | 20.3 |
| 6. | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-36 | 202 | 7.3 |
| 7. | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-72 | 6 | 0.432 |
| 8. | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-15 | 3 | 0.045 |
| 9. | कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प-11 | 26 | 0.286 |
| कुल किलोवाट | | | 165.4 |

| संस्थापना के बाद एलईडी स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या | | | |
|---|----------------------|--------|-------------|
| क्र.सं. | एलईडी लाइट की क्षमता | मात्रा | कुल किलोवाट |
| 1. | 120 | 76 | 9.12 |
| 2. | 70 | 669 | 46.83 |
| 3. | 15 | 737 | 11.055 |
| कुल किलोवाट (नई) | | | 67 |

| ऊर्जा बचत क्षमता का प्राक्कलन | |
|--|----------|
| पूर्व भार (किलोवाट में) | 165.4 |
| नया भार (किलोवाट में) | 67 |
| संस्थापना के बाद भार में कमी (किलोवाट में) | 98.4 |
| वार्षिक ऊर्जा बचत (किलोवाट में) | 3,94,996 |
| वार्षिक ऊर्जा बचत (एमयू में) | 395 |
| भार में कमी % | 59% |

(प्रतिदिन औसत प्रचालन घंटे 11 माने गए हैं और प्रचालन दिवस 365 माने गए हैं)

माउंट आबू में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के कार्यान्वयन से स्ट्रीट लाइट लोड 165.4 किलोवाट से घटकर 67 किलोवाट हो गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3689

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

आईपीडीएस की स्थिति

3689. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री राजीव सातवः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री धनंजय महाडीकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की वर्तमान स्थिति और इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या आईपीडीएस सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और सरकार इसके उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह योजना पारेषण और वितरण (टीएंडडी) को मजबूत करेगी और शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत मीटरिंग करेगी और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ इसे आधुनिक बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने योजना में भाग नहीं लिया है और यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा उन्हें इस योजना में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य-वार कितनी निधियां जारी और उपयोग की गई हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और सुविधाजनक विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : इंटीग्रेटेड पावर डेवलेपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) निम्नलिखित घटकों के साथ शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 20.11.2014 को अनुमोदित की गई थी:

- (i) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण;
- (ii) शहरी क्षेत्रों में फीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा

- (iii) आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत किए जा रहे वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

इस स्कीम का कुल परिव्यय 32,612 करोड़ रुपए है जिसमें 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 546 सर्किलों में 31,945 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 7,116 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में प्रणाली सुदृढीकरण के लिए 28,234 करोड़ रुपए, आईटी चरण-II परियोजनाओं के लिए 985 करोड़ रुपए, स्मार्ट मीटरिंग के लिए 834 करोड़ रुपए, ईआरपी के लिए 747 करोड़ रुपए, आरटी-डीएस के लिए 165 करोड़ रुपए तथा जीआईएस सब-स्टेशनों के लिए 978 करोड़ रुपए शामिल हैं। यूटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा 49 प्रतिशत प्रगति हासिल करते हुए सफलतापूर्वक प्रगति पर हैं।

(घ) : सभी राज्य स्कीम में शामिल हो गए हैं। स्वीकृत निधियों और जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) : विद्युत का वितरण राज्यों और वितरण यूटिलिटियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्यों/संबंधित यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। तथापि, अपनी वितरण अवसंरचना को सुधारने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड पावर डेवलेपमेंट स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी कई स्कीमें शुरू की हैं। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अंतर्गत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं टीएंडडी हानियों को कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/ उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्तपोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए अंडर ग्राउंड (यूजी) केबिल बिछाने तथा एरियल बंच्ड (एबी) केबिल के लिए भी आईपीडीएस के अंतर्गत निधियां स्वीकृत की गईं।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3689 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

15.12.2018 की स्थिति के अनुसार आईपीडीएस के तहत संस्वीकृत तथा संवितरित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | एसटीएंडडी | | | | आईटी सक्षमीकरण/ईआरपी/स्मार्ट मीटर | | कुल | |
|----------|-------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | सर्किल | शहर | अनुमोदित लागत (करोड़) | वितरण (करोड़) | अनुमोदित लागत (करोड़) | वितरण (करोड़) | अनुमोदित लागत (करोड़) | वितरण (करोड़) |
| 1 | अंडमान व निकोबार | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 13 | 90 | 690 | 347 | 120 | 2 | 810 | 349 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 9 | 151 | 13 | 8 | 0 | 159 | 13 |
| 4 | असम | 19 | 88 | 691 | 151 | 26 | 1 | 717 | 152 |
| 5 | बिहार | 16 | 130 | 2,220 | 363 | 226 | 0 | 2446 | 363 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 15 | 182 | 529 | 67 | 117 | 4 | 647 | 71 |
| 7 | दिल्ली | 1 | 1 | 198 | 33 | 0 | 0 | 198 | 33 |
| 8 | गोवा | 2 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| 9 | गुजरात | 24 | 166 | 1,127 | 453 | 207 | 0 | 1334 | 453 |
| 10 | हरियाणा | 18 | 47 | 391 | 66 | 37 | 0 | 428 | 66 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 12 | 54 | 111 | 28 | 66 | 4 | 178 | 32 |
| 12 | जम्मू व कश्मीर | 12 | 85 | 447 | 38 | 21 | 0 | 468 | 38 |
| 13 | झारखंड | 15 | 40 | 755 | 292 | 34 | 0 | 790 | 292 |
| 14 | कर्नाटक | 28 | 223 | 1,198 | 475 | 254 | 0 | 1452 | 475 |
| 15 | केरल | 26 | 64 | 600 | 108 | 131 | 0 | 731 | 108 |
| 16 | महाराष्ट्र | 46 | 255 | 2,417 | 427 | 217 | 6 | 2634 | 433 |
| 17 | मणिपुर | 3 | 18 | 134 | 32 | 20 | 0 | 154 | 32 |
| 18 | मेघालय | 6 | 9 | 62 | 15 | 19 | 0 | 81 | 15 |
| 19 | मिजोरम | 1 | 12 | 90 | 15 | 19 | 0 | 109 | 15 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 43 | 311 | 1,557 | 272 | 179 | 0 | 1736 | 272 |
| 21 | नागालैंड | 2 | 12 | 119 | 17 | 18 | 1 | 137 | 18 |
| 22 | ओडिशा | 21 | 112 | 1,083 | 183 | 142 | 7 | 1225 | 190 |
| 23 | पुडुचेरी | 1 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 24 | पंजाब | 20 | 102 | 332 | 58 | 125 | 6 | 457 | 64 |
| 25 | राजस्थान | 35 | 185 | 1,350 | 229 | 190 | 0 | 1540 | 229 |
| 26 | सिक्किम | 6 | 8 | 101 | 1 | 0 | 0 | 101 | 1 |
| 27 | तमिलनाडु | 37 | 522 | 1,704 | 279 | 56 | 0 | 1,761 | 279 |
| 28 | तेलंगाना | 14 | 67 | 692 | 186 | 69 | 4 | 761 | 190 |
| 29 | त्रिपुरा | 9 | 20 | 203 | 17 | 18 | 0 | 221 | 17 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 67 | 637 | 5,140 | 2333 | 181 | 0 | 5321 | 2333 |
| 31 | उत्तराखंड | 11 | 38 | 600 | 50 | 34 | 5 | 634 | 55 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 19 | 122 | 2,940 | 519 | 32 | 0 | 2972 | 519 |
| कुल | | 546 | 3,630 | 27,706 | 7075 | 2,566 | 41 | 30,273* | 7,116 |

स्रोत: पीएफसी

* उपरोक्त के अतिरिक्त, निगरानी समिति ने अपनी 13वीं बैठक में 525.97 करोड़ रुपए मूल्य की अतिरिक्त प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाएं, 164.82 करोड़ रुपए मूल्य की आरटी-डीएस परियोजनाएं और 973.49 करोड़ रुपए की जीआईएस परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। अतः, कुल संस्वीकृति 31,945 करोड़ रुपए है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3694

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

3694. कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री एस.आर. विजय कुमार:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रमुख महानगरों और राष्ट्रीय राजधानी के समीप इस समय चल रहे कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जोकि इन महानगरों की हवा को बुरी तरह से प्रदूषित करते हैं;
- (ख) कोयला आधारित कितनी विद्युत परियोजनाओं को अभी तक कोयला आधारित से जल या अन्य प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन कंटेन्ट में परिवर्तित किया गया है;
- (ग) दिल्ली और अन्य महानगरों के नागरिकों को स्वस्थ वायु प्रदान करने के लिए सभी कोयला आधारित परियोजनाओं को कब तक बंद कर दिया जाएगा; और
- (घ) मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य उत्सर्जित गैसों से संबंधित मानदंडों के सख्त अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : प्रमुख मेट्रो शहरों तथा एनसीआर क्षेत्र में एवं उसके आसपास वर्तमान में चल रही कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : किसी कोयला आधारित विद्युत परियोजना को कोयला आधारित से जल विद्युत अथवा विद्युत उत्पादन संयंत्र की किसी अन्य किस्म में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : दिल्ली में कोयला आधारित दो ताप विद्युत संयंत्र हैं। ये एनटीपीसी का बदरपुर टीपीएस (3x95 + 2x210 मेगावाट) तथा आईपीजीसीएल का राजघाट टीपीएस (2x67.5 मेगावाट) हैं। बदरपुर टीपीएस अक्टूबर, 2018 में बंद कर दिया गया है तथा राजघाट टीपीएस, जो प्रचालनरत नहीं है, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को

बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चेन्नई के समीप स्थित इन्नोर टीपीएस (2x60 मेगावाट + 2x110 मेगावाट) वर्ष 2017 में बंद कर दिया गया है। अनुबंध में दिए अनुसार वर्तमान में विद्युत संयंत्रों को बंद करने की कोई योजना नहीं है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 7 दिसंबर, 2015 को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निम्नलिखित नए पर्यावरणीय मानदंड अधिसूचित किए हैं।

| उत्सर्जन मापदण्ड | 31 दिसंबर, 2003 से पहले स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां) | 31 दिसंबर, 2003 के बाद तथा 31 दिसंबर, 2016 तक स्थापित ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां) | 1 जनवरी, 2017 से स्थापित किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र (इकाईयां) |
|---|---|---|--|
| पर्टिकुलेट मैटर | 100 एमजी/एनएम ³ | 50 एमजी/एनएम ³ | 30 एमजी/एनएम ³ |
| सल्फर डाई ऑक्साइड (SO ₂) | 500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों के लिए 600 एमजी/एनएम ³ 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम ³ | 500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों के लिए 600 एमजी/एनएम ³ 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए 200 एमजी/एनएम ³ | 100 एमजी/एनएम ³ |
| नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO _x) | 600 एमजी/एनएम ³ | 300 एमजी/एनएम ³ | 100 एमजी/एनएम ³ |
| पारा | 0.03 एमजी/एनएम ³ (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयों के लिए) | 0.03 एमजी/एनएम ³ | 0.03 एमजी/एनएम ³ |

देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पणधारकों के परामर्श से, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1,61,402 मेगावाट (414 इकाई) क्षमता के लिए संयंत्रों में फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) की संस्थापना और 64,525 मेगावाट (222 इकाई) क्षमता के लिए संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसीपीटर का अपग्रेडेशन करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना (2022 से पूर्व कार्यान्वित की जानी है) तैयार की गई थी और यह योजना दिनांक 13.10.2017 को एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की गई थी। सीईए द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अनुबंध में उल्लिखित संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश जारी किए हैं।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3694 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनसीआर क्षेत्र में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची:

| क्रम सं. | ताप विद्युत स्टेशन का नाम |
|----------|--|
| 1 | दादरी (एनसीटीपीपी), (4x210 मेगावाट + 2x490 मेगावाट) |
| 2 | आईजीएसटीपीपी, झज्जर, (3x500 मेगावाट) |
| 3 | एमजीएसटीपीपी, सीएलपी झज्जर,(2x660 मेगावाट) |
| 4 | पानीपत, हरियणा, यूनिट सं. 6, 7 व 8 (1x210 मेगावाट + 2x250 मेगावाट) |

चेन्नई के समीप कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची:

| क्रम सं. | ताप विद्युत स्टेशन का नाम |
|----------|---|
| 1 | नॉर्थ चेन्नई टीपीएस, (3x210 मेगावाट) नॉर्थ चेन्नई टीपीएस एक्सटें., (2x600 मेगावाट) |
| 2 | वल्लूर टीपीएस, (3x500 मेगावाट) |

कोलकाता के समीप कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची:

| क्रम सं. | ताप विद्युत स्टेशन का नाम |
|----------|-------------------------------|
| 1 | बज-बज टीपीएस, (3x250 मेगावाट) |

मुंबई में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची:

| क्रम सं. | ताप विद्युत स्टेशन का नाम |
|----------|--|
| 1 | ट्रॉम्बे टीपीएस, (1x250 मेगावाट + 1x500 मेगावाट) |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3705

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन

3705. श्री कोनाकल्ला नारायण रावः

श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार मौजूदा विद्युत अधिनियम, 2003 को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दृष्टि से संशोधित करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के मत लिया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) नए विद्युत विधेयक के कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्र सरकार वर्तमान विद्युत अधिनियम, 2003 में इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने को ध्यान में रखते हुए संशोधन लाने की योजना बना रही है। इस संबंध में, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014, 19.12.2014 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात, विधेयक जांच हेतु ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था। स्थायी समिति ने 07.05.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के अवलोकनों/सिफारिशों तथा राज्य सरकारों और अन्य पणधारकों के साथ आगे परामर्श/विचार-विमर्श के आधार पर कुछ और संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों सहित विभिन्न पणधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन के लिए संशोधित प्रारूप 07 सितंबर, 2018 को परिचालित किया गया था। राज्य सरकारों सहित पणधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर, 2018 थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के लिए प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने हेतु राज्य सरकारों के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर, 2018 को आगे विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।

हमें एक सौ से अधिक पणधारकों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है। पणधारकों के विचारों की जांच को ध्यान में रखने के पश्चात, विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा और विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 संसद में रखा जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3715

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

3715. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उनके राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रत्येक राज्य को आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.04.2018 की तिथि के अनुसार संपूर्ण देश में सभी बसावट वाले जनगणना गांव विद्युतीकृत थे।

गहन निगरानी और व्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की प्रगति संबंधित राज्य डिस्कॉमों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः www.ddugjy.gov.in और www.saubhagya.gov.in ऑनलाइन बेव पोर्टल पर अद्यतन की जाती हैं।

(ग) : स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां पूर्व में जारी की गई राशि के उपयोग तथा डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। राज्यों को डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य के अंतर्गत क्रमशः 21,527 करोड़ रुपए तथा 1,541 करोड़ रुपए का अनुदान संवितरित किया गया है। राज्यवार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सृजित करने हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों के लिए 11,996 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रुपए में)

| क्रम सं. | राज्य का नाम | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | कुल |
|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 31 | 128 | 165 | 324 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 31 | 101 | 81 | 213 |
| 3 | असम | 338 | 598 | 401 | 1,337 |
| 4 | बिहार | 710 | 1,292 | 763 | 2,765 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 279 | 126 | 552 | 957 |
| 6 | गुजरात | 58 | 110 | 143 | 312 |
| 7 | हरियाणा | - | - | 45 | 45 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 28 | - | - | 28 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | - | - | 65 | 65 |
| 10 | झारखंड | - | 327 | 862 | 1,189 |
| 11 | कर्नाटक | 44 | 145 | 204 | 393 |
| 12 | केरल | - | 134 | 87 | 221 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 439 | 421 | 598 | 1,457 |
| 14 | महाराष्ट्र | 43 | 257 | 143 | 443 |
| 15 | मणिपुर | 7 | 36 | 33 | 76 |
| 16 | मेघालय | - | 26 | 58 | 83 |
| 17 | मिजोरम | 19 | 14 | 42 | 75 |
| 18 | नागालैंड | 48 | 21 | 24 | 93 |
| 19 | ओडिशा | 514 | 1,079 | 366 | 1,959 |
| 20 | पंजाब | - | - | 15 | 15 |
| 21 | राजस्थान | 3 | 349 | 782 | 1,383 |
| 22 | सिक्किम | - | - | 18 | 18 |
| 23 | तमिलनाडु | 77 | 110 | 2 | 189 |
| 24 | तेलंगाना | 5 | 27 | 60 | 93 |
| 25 | त्रिपुरा | 49 | 78 | 62 | 189 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 1,249 | 2,262 | 3,149 | 6,660 |
| 27 | उत्तराखंड | 71 | 16 | 33 | 121 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 305 | 273 | 241 | 819 |
| 29 | पुडुचेरी | - | 1 | - | 1 |
| 30 | अंडमान और निकोबार | - | - | 1 | 1 |
| | सकल जोड़ | 4599 | 7932 | 8995 | 21527 |

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3715 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2017-18 (11.10.2017 के आरंभ से) के दौरान सौभाग्य स्कीम के तहत जारी किया गया राज्य-वार अनुदान

| क्रम सं. | राज्य का नाम | (करोड़ रुपए में) |
|----------|-----------------|------------------|
| 1 | असम | 42 |
| 2 | बिहार | 115 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 43 |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 2 |
| 5 | झारखंड | 70 |
| 6 | केरल | 15 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 260 |
| 8 | महाराष्ट्र | 15 |
| 9 | मणिपुर | 6 |
| 10 | नागालैंड | 5 |
| 11 | ओडिशा | 76 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 864 |
| 13 | उत्तराखंड | 13 |
| 14 | पश्चिम बंगाल | 14 |
| | कुल | 1,541 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3720

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

‘सौभाग्य’ योजना के अंतर्गत परिवारों को बिजली

3720. श्री विद्युत वरण महतो:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ‘सौभाग्य’ योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत परिवारों को बिजली प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य तय किया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत परिवारों को बिजली प्रदान की गई है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त योजना हेतु राज्य सरकारों को निधि आबंटित की है; और
- (घ) यदि हां, तो उक्त आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से 31 दिसंबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार, कुल घरों के 99.53% विद्युतीकृत कर दिए थे। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) : सौभाग्य के अंतर्गत निधियां पूर्व किस्तों में राशि के उपयोग की सूचना और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किस्तों में जारी की जाती हैं। तदनुसार, दिनांक 30 नवंबर, 2018 तक सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 2,958 करोड़ रुपये का अनुदान संवितरित कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3720 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के तहत घरों के विद्युतीकरण की स्थिति

31.12.2018 की स्थिति के अनुसार

| क्रम सं. | राज्य | 11.10.2017 से विद्युतीकृत घर (सौभाग्य की शुरुआत से) | घरों का विद्युतीकरण (%) |
|----------|-----------------|--|-------------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,56,072 | 100.00% |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 42,608 | 100.00% |
| 3 | असम | 13,16,135 | 91.87% |
| 4 | बिहार | 32,59,041 | 100.00% |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 6,84,262 | 99.38% |
| 6 | गोवा | - | 100.00% |
| 7 | गुजरात | 41,317 | 100.00% |
| 8 | हरियाणा | 52,774 | 100.00% |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 12,891 | 100.00% |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 3,77,578 | 100.00% |
| 11 | झारखंड | 13,55,930 | 100.00% |
| 12 | कर्नाटक | 3,02,204 | 100.00% |
| 13 | केरल | - | 100.00% |
| 14 | मध्य प्रदेश | 19,84,264 | 100.00% |
| 15 | महाराष्ट्र | 10,96,642 | 100.00% |
| 16 | मणिपुर | 1,02,217 | 100.00% |
| 17 | मेघालय | 94,942 | 83.05% |
| 18 | मिजोरम | 27,803 | 100.00% |
| 19 | नागालैंड | 1,32,507 | 100.00% |
| 20 | ओडिशा | 23,99,186 | 100.00% |
| 21 | पुडुचेरी | 912 | 100.00% |
| 22 | पंजाब | 386 | 100.00% |
| 23 | राजस्थान | 15,48,126 | 97.52% |
| 24 | सिक्किम | 14,900 | 100.00% |
| 25 | तमिलनाडु | 2,170 | 100.00% |
| 26 | तेलंगाना | 4,46,020 | 100.00% |
| 27 | त्रिपुरा | 1,36,408 | 100.00% |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 74,06,767 | 100.00% |
| 29 | उत्तराखंड | 2,17,292 | 100.00% |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 7,32,290 | 100.00% |
| | कुल | 2,39,43,644 | 99.53% |

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3720 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के तहत वितरित राज्य-वार अनुदान
(11.10.2018 को इसकी शुरुआत से)

30.11.2018 की स्थिति के अनुसार

| क्रम सं. | राज्य का नाम | संवितरित अनुदान (करोड़ रुपए में) |
|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 151 |
| 2 | असम | 328 |
| 3 | बिहार | 115 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 196 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | 53 |
| 7 | झारखंड | 143 |
| 8 | केरल | 15 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 407 |
| 10 | महाराष्ट्र | 67 |
| 11 | मणिपुर | 6 |
| 12 | मेघालय | 27 |
| 13 | मिजोरम | 29 |
| 14 | नगालैंड | 34 |
| 15 | ओडिशा | 76 |
| 16 | राजस्थान | 23 |
| 17 | त्रिपुरा | 102 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 1,124 |
| 19 | उत्तराखंड | 13 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 47 |
| | कुल | 2,958 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3721

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य

3721. कुमारी सुष्मिता देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2017 से 2018 तक 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत किए गए शहरी विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2017 से 2018 तक उक्त योजना के अंतर्गत किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्ष 2017 से 2018 तक असम में सौभाग्य योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण विद्युतीकरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) वर्ष 2017 से 2018 तक असम में उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, योजना की शुरुआत के पश्चात 31.12.2018 तक 8,44,670 शहरी घरों तथा 2.31 करोड़ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

असम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 11 अक्टूबर, 2017 को सौभाग्य की शुरुआत के पश्चात 31.12.2018 तक असम में 13.16 लाख (13,10,947 ग्रामीण + 5,188 शहरी) घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) : स्वीकृत परियोजना के लिए निधियां विगत किस्त(किस्तों) में राशि के सूचित उपयोग के आधार पर तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किस्तों में जारी की जाती है। तदनुसार, योजना की शुरुआत के पश्चात 31.12.2018 तक सौभाग्य के अंतर्गत असम के लिए 681.78 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3721 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

**2017 से 2018 तक सौभाग्य के तहत प्राप्त किए गए शहरी विद्युतीकरण का ब्यौरा
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)**

| क्रम सं. | राज्य | 11 अक्टूबर, 2017 से विद्युतीकृत घर |
|----------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 46,055 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 3,866 |
| 3 | असम | 5,188 |
| 4 | बिहार | 31,208 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 21,439 |
| 6 | गुजरात | |
| 7 | हरियाणा | 875 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 85 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 15,994 |
| 10 | झारखंड | 40 |
| 11 | कर्नाटक | 2,000 |
| 12 | केरल | |
| 13 | मध्य प्रदेश | 45,293 |
| 14 | महाराष्ट्र | 2,83,365 |
| 15 | मणिपुर | 4,400 |
| 16 | मेघालय | 2,725 |
| 17 | मिजोरम | 3,351 |
| 18 | नागालैंड | 8,519 |
| 19 | ओडिशा | 2,02,598 |
| 20 | राजस्थान | 13,648 |
| 21 | तेलंगाना | 70 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 1,27,449 |
| 23 | उत्तराखंड | 26,502 |
| | कुल | 8,44,670 |

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3721 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2017 से 2018 तक सौभाग्य के तहत प्राप्त किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण का ब्यौरा
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | राज्य | 11 अक्टूबर, 2017 से विद्युतीकृत घर |
|----------|----------------|------------------------------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,10,023 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 38,742 |
| 3 | असम | 13,10,947 |
| 4 | बिहार | 32,27,833 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 6,62,823 |
| 6 | गोवा | |
| 7 | गुजरात | 41,317 |
| 8 | हरियाणा | 51,899 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 12,806 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 3,61,584 |
| 11 | झारखंड | 13,55,890 |
| 12 | कर्नाटक | 3,00,204 |
| 13 | केरल | |
| 14 | मध्य प्रदेश | 19,38,971 |
| 15 | महाराष्ट्र | 8,13,277 |
| 16 | मणिपुर | 97,817 |
| 17 | मेघालय | 92,217 |
| 18 | मिजोरम | 24,452 |
| 19 | नागालैंड | 1,23,988 |
| 20 | ओडिशा | 21,96,588 |
| 21 | पुडुचेरी | 912 |
| 22 | पंजाब | 386 |
| 23 | राजस्थान | 15,34,478 |
| 24 | सिक्किम | 14,900 |
| 25 | तमिलनाडु | 2,170 |
| 26 | तेलंगाना | 4,45,950 |
| 27 | त्रिपुरा | 1,36,408 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 72,79,318 |
| 29 | उत्तराखंड | 1,90,790 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 7,32,290 |
| | कुल | 2,30,98,980 |

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3721 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2017 से 2018 तक असम में सौभाग्य के तहत शहरी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण का जिला-वार ब्यौरा
(31.12.2018 की स्थिति के अनुसार)

| जिला | 11 अक्टूबर, 2017 से विद्युतीकृत घर | |
|---------------|------------------------------------|--------------|
| | ग्रामीण | शहरी |
| नगांव | 71039 | 0 |
| धुबरी | 81005 | 1908 |
| कामरूप महानगर | 8371 | 85 |
| बारपेटा | 94913 | 480 |
| डिब्रूगढ़ | 48249 | 0 |
| कछार | 73267 | 140 |
| कामरूप | 52769 | 0 |
| तिनसुकिया | 66385 | 0 |
| जोरहाट | 27707 | 0 |
| गोलपाड़ा | 71713 | 0 |
| सोनितपुर | 48309 | 322 |
| कार्बी आंगलॉग | 43419 | 0 |
| करीमगंज | 40079 | 116 |
| गोलाघाट | 23475 | 167 |
| मरिगांव | 41509 | 339 |
| शिवसागर | 40879 | 0 |
| लखीमपुर | 49922 | 0 |
| उदलगुड़ी | 59003 | 0 |
| दरांग | 63955 | 740 |
| बक्सा | 66516 | 115 |
| कोकराझार | 43695 | 87 |
| बोंगाईगांव | 21328 | 52 |
| नलबाड़ी | 36917 | 20 |
| हैलाकांडी | 49010 | 95 |
| धेमाजी | 41133 | 0 |
| चिरांग | 31462 | 522 |
| दीमा हसाओ | 14918 | 0 |
| कुल | 13,10,947 | 5,188 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3734

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

कार्यनिष्पादन समीक्षा

3734. श्री ओम बिरला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यनिष्पादन समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/ राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार उन्नत तरीके से उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में काम करती है।

वितरण लाइसेंसियों के निष्पादन की जांच करने का उत्तरदायित्व उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों को सौंपा गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(i) के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को लाइसेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को विनिर्दिष्ट करने अथवा लागू करने की शक्तियां दी गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3735

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

महंगा कोयला आयात

3735. श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत की मांग में हालिया बढ़ोत्तरी ने विद्युत उत्पादकों से विद्युत की मांग में सुधार किया है लेकिन साथ ही महंगा कोयले के आयात पर निर्भरता भी बढ़ी है क्योंकि घरेलू स्रोतों से सूखे ईंधन की आपूर्ति अपर्याप्त थी;
- (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2019 की अवधि के पहले पांच महीनों के दौरान अखिल भारतीय विद्युत वृद्धि 5.6% पर स्थिर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बढ़ी हुई मांगों को ताप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा अधिक उत्पादन द्वारा पूरा किया जा रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति में 2017-18 (सितंबर, 2017 तक) की तुलना में 2018-19 (सितंबर, 2018 तक) 5.8% की औसत वृद्धि हुई है।

सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 2018 के दौरान विद्युत वृद्धि क्रमशः 7.1%, 11.8% एवं 5.2% रही है और चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान 6.6% की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार, देश में विद्युत मांग में हालिया वृद्धि से विद्युत उत्पादकों से विद्युत खरीद में सुधार हुआ है। लेकिन घरेलू स्रोतों से कोयला की उपलब्धता में सुधार के कारण, कोयला आयात पर निर्भरता में वृद्धि नहीं हुई है और यह लगभग पिछले वर्ष के समान ही रही है।

चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान घरेलू कोयले के साथ मिश्रण करने के लिए कोयले का आयात 39.1 मिलियन टन (एमटी) था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 38.8 एमटी के आयात के लगभग बराबर है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान ताप एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान क्रमशः 681.284 बिलियन यूनिट (बीयू) एवं 70.022 बीयू की तुलना में क्रमशः 715.418 बीयू एवं 81.149 बीयू था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3742

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

कोयले पर निर्भरता

3742. डॉ. उदित राज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अगले कुछ दशकों तक देश की विद्युत उत्पादन क्षमता कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु सरकार द्वारा एक उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी आरएंडडी परियोजना अनुमोदित की गई है; और
- (ग) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और इस परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2018 के अनुसार वर्ष 2021-22 तक कोयला आधारित अखिल भारतीय उत्पादन सभी स्रोतों से उत्पादित कुल ऊर्जा का लगभग 63% होने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2026-27 तक कोयला आधारित अखिल भारतीय उत्पादन कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 55.7% होने का अनुमान है। इस प्रकार अगले दशक के दौरान देश का विद्युत उत्पादन कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भर करता रहेगा।

(ख) और (ग) : सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजना (चरण-1) अनुमोदित की है।

आरएंडडी परियोजना का उद्देश्य लगभग 46% की लक्षित दक्षता के साथ 800 मेगावाट के लिए एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) वाले कोयला प्रज्ज्वलित विद्युत संयंत्र विकसित करना है।

आरएंडडी परियोजना का चरण-1 संघ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जिसमें इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटोमिक रिसर्च (आईजीसीएआर), एनटीपीसी और भेल शामिल हैं और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) इसके अध्यक्ष हैं। अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए एक समर्पित मिशन निदेशालय गठित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास परियोजना के चरण-1 में चरण-1 के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर 800 मेगावाट के एयूएससी प्रौद्योगिकी निदर्शन संयंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल आरएंडडी परियोजना के लिए लक्ष्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की स्थिति अनुबंध में दी गई है। आरएंडडी परियोजना के पूरा होने पर 800 मेगावाट क्षमता का निदर्शन संयंत्र एनटीपीसी द्वारा मौजूदा सिपत स्थल पर स्थापित किया जाएगा।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3742 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एयूएससी आरएंडडी परियोजना (चरण-1) परियोजना के लक्ष्यों की स्थिति

| क्रम सं. | प्रमुख लक्ष्य | वर्तमान स्थिति (दिसंबर, 2018) |
|----------|--|--|
| 1 | नई सामग्री एवं विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का विकास | प्रमुख घटकों के लिए सामग्री चयन, सामग्री प्रापण, तकनीकी विनिर्दिष्टि और विनिर्माण प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अलाय 617एम से बनी बॉयलर ट्यूबों की फॉर्मिंग और बैल्डिंग पहली बार प्रयोग की गई है। अलाय 617 एम में हाई टेम्प्रेचर/हाई प्रेशर मैन सेफ्टी बाल का निर्माण और परीक्षण किया गया है। डिजाइन के लिए अपेक्षित सामग्री डाटा को अंतिम रूप दे दिया गया है। सामग्रियों और उपकरण के प्रापण को अंतिम रूप दे दिया गया है। |
| 2 | ऑप्टीमाइज्ड थर्मल साइकिल्स | ऑप्टीमाइजेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। |
| 3 | फायर साइड कोरोजन टैस्ट रिग की संस्थापना | विनिर्माण पूरा हो गया है। एनटीपीसी के दादरी संयंत्र में स्थल कार्यकलाप प्रगति पर हैं और शीघ्र पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है। |
| 4 | रोटोर टैस्ट रिग की संस्थापना | जुलाई, 2019 में टैस्टिंग के लिए प्रापण को अंतिम रूप दे दिया गया है। |
| 5 | प्रमुख उपस्करों का डिजाइन- बायलर स्टीम, टरबाइन, जनरेटर, वाल्व, पाइपिंग | बायलर, वाल्व और टरबाइन फाउंडेशन के लिए बाह्य डिजाइन समीक्षा पूरी कर ली गई है। वर्तमान में टरबाइन की डिजाइन समीक्षा प्रगति पर है और मई, 2019 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। |
| 6 | 800 मेगावाट एयूएससी ताप विद्युत संयंत्र का कम्प्लीट डिजाइन | डिजाइन डाक्यूमेंट सिस्टम इंजीनियरिंग, पाइपिंग, फीड वाटर हीटर और कंडेंसर पर रिलीज कर दिए गए हैं। |
| 7 | प्लान ओवर ऑल ले आउट | सिपत में निदर्शन संयंत्र के लिए ओवर ऑल ले आउट प्लान पूरा कर लिया गया है। |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3749

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत का संरक्षण

3749. श्री देवसिंह चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग की गई विद्युत की क्या प्रवृत्ति रही है तथा विद्युत की बचत/संरक्षण सहित डिमांड साइड मैनेजमेंट हेतु कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को जानकारी है कि घरेलू क्षेत्र में खराब उपकरणों, रिसाव और विद्युत अकुशल उपकरणों के उपयोग के कारण अत्यधिक विद्युत बर्बाद हो जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा कुशल उपकरणों और यंत्रों को बढ़ावा देने, विद्युत के संरक्षण और बचत हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : कार्यान्वयनाधीन प्रमुख मांग पक्ष प्रबंधन स्कीमों/कार्यक्रम (i) मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम, (ii) निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार स्कीम, (iii) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, (iv) लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता और (v) जनवरी, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया गया राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम हैं, जिसमें (क) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला); तथा (ख) स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शामिल है। ऊपर (i) से (iv) पर उल्लिखित मांग पक्ष प्रबंधन स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण हुई ऊर्जा बचतों सहित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान देखी गई घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत खपत की प्रवृत्ति अनुबंध-1 में दी गई है।

ऊपर (v) पर उल्लिखित कार्यक्रम के संबंध में, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है, ने आज की तारीख तक देश में 31.77 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं और 76.77

लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके परिणामस्वरूप, 9,111 मेगावाट की व्यस्ततम मांग से बचे रहने के साथ-साथ लगभग 46.42 बिलियन किलो वाट घंटा प्रति वर्ष की ऊर्जा बचत होती है।

(ख) : सरकार को इलेक्ट्रिक उपकरणों एवं उपस्कर की अदक्षता के कारण घरेलू क्षेत्र में बिजली की बर्बादी की जानकारी है। तदनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) कार्यान्वित कर रहा है:

- (i) खरीद के समय सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के परिणामस्वरूप लागत एवं ऊर्जा बचत के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना; तथा
- (ii) इसकी वार्षिक ऊर्जा निष्पादन 1 से 5 स्टार मानकों पर उपकरणों/उपस्करों की स्टार लेबलिंग के माध्यम से, 5 स्टार रेटेड उपकरण/उपस्कर सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष होने के कारण, ऊर्जा दक्षता के प्रति उपकरण/उपस्कर बाजार को बदलना।

वर्तमान में, 22 उपकरण एसएंडएल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं जिनमें नीचे दिए अनुसार 10 अनिवार्य श्रेणी में हैं और 12 स्वैच्छिक श्रेणी में हैं:-

| अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण | स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण |
|---|--|
| 1. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर | 1. इंडक्शन मोटर |
| 2. ट्यूबलर फ्लूरोसेंट लैम्प | 2. कृषि पम्प सेट |
| 3. रूम एयर कंडीशनर | 3. एलपीजी स्टोव |
| 4. रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी) | 4. कम्प्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप) |
| 5. कलर टेलीविजन | 5. कार्यालय उपकरण (प्रिंटर, कॉपियर और स्कैनर) |
| 6. डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर | 6. सीलिंग फैन |
| 7. इनवर्टर एसी | 7. कृषि के लिए डीजल इंजन आधारित मोनोसेट |
| 8. एलईडी लैम्प | 8. सॉलिड स्टेट इनवर्टर |
| 9. डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर | 9. जेनरेटर |
| 10. इलेक्ट्रिक वाटर हीटर | 10. बैलास्ट (इलेक्ट्रॉनिक/मैग्नेटिक) |
| | 11. वाशिंग मशीन |
| | 12. चिलर्स |

(ग) और (घ) : एसएंडएल कार्यक्रम के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत चार उपकरण प्रस्तावित किए हैं और छह उपकरण स्वैच्छिक श्रेणी से अनिवार्य श्रेणी में लाये हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा दक्ष उपकरणों एवं गैजेटों को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण एवं बचत के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

| 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के दौरान भारत में विद्युत खपत (मिलियन यूनिट) | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| वित्तीय वर्ष | घरेलू | % वृद्धि | औद्योगिक | % वृद्धि |
| 2014-15 | 217404.72 | 8.79 | 418346.16 | 8.83 |
| 2015-16 | 238875.69 | 9.88 | 423522.94 | 1.24 |
| 2016-17 | 255826.01 | 7.10 | 440205.52 | 3.94 |

| मांग पक्ष प्रबंधन स्कीम के कार्यान्वयन के कारण ऊर्जा बचत (ताप ऊर्जा और विद्युत दोनों) (मिलियन यूनिट) | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| स्कीमें | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
| स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग कार्यक्रम | 33765.17 | 36899.74 | 41422.76 |
| निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार स्कीम | 101050.57 | 101050.57 | 101050.57 |
| राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड | 5197 | 2598 | 7378 |
| लघु एवं मध्यम उद्यम | 12.70 | 72.10 | 72.10 |
| कुल | 140025.4 | 140620.4 | 149923.4 |

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

1. उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग स्कीम के तहत ऊर्जा बचत लक्ष्य और उपलब्धि:

| स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग स्कीम के तहत उपकरणों एवं उपस्करों से 12वीं योजना के बचत लक्ष्य एवं उपलब्धि (बिलियन यूनिट में) | | | |
|--|---------|--------|---------|
| क्रम सं. | वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2014-15 | 11.08 | 33.765 |
| 2 | 2015-16 | 11.97 | 36.899 |
| 3 | 2016-17 | 13.01 | 41.422 |

2. उपकरणों में ऊर्जा बचत के माध्यम से सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

| विगत तीन वर्षों में स्वैच्छिक निष्पादन मानकों की शुरुआत | | |
|---|--|--------------------------|
| क्रम सं. | उपकरण का नाम | स्वैच्छिक शुरुआत का वर्ष |
| 1 | भिन्न क्षमता वाले इन्वर्टर एयर कंडीशनर | 2015 |
| 2 | एलईडी लैम्प | 2015 |
| 3 | सॉलिड स्टेट इन्वर्टर | 2016 |
| 4 | चिलर्स | 2018 |

| विगत तीन वर्षों में निष्पादन मानकों का स्वैच्छिक से अनिवार्य परिवर्तन | | |
|---|--|---------------------------|
| क्रम सं. | उपकरण का नाम | अनिवार्य परिवर्तन का वर्ष |
| 1 | कैसेट एयर कंडीशनर | 2015 |
| 2 | डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर | 2016 |
| 3 | कलर टेलीविजन | 2016 |
| 4 | इलैक्ट्रिक वाटर हीटर (गीजर) | 2016 |
| 5 | भिन्न क्षमता वाले इन्वर्टर एयर कंडीशनर | 2018 |
| 6 | एलईडी लैम्प | 2018 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3757

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्ब

3757. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब और विद्युत पंखे डाकघरों के माध्यम से बेचने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में भी इन मदों को डाकघरों के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन डाकघरों के जिला-वार नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ने सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा दक्ष उपकरणों के वितरण के लिए 13 अक्टूबर, 2018 को डाक विभाग (डीओपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अनुसार, ईईएसएल गुजरात राज्य सहित सम्पूर्ण भारत में चरणबद्ध तरीके में डाक विभाग के डाक घरों के नेटवर्क के माध्यम से एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित करेगा।

इसके अलावा, उपर्युक्त व्यवस्था के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों में डाक घरों की संख्या और स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए ईईएसएल को डीओपी के साथ राज्य विशिष्ट करार हस्ताक्षरित करने हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3762

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली का उत्पादन और खपत

3762. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने बिजली घरों की स्थापना की गई है और कोयला, गैस, जल और परमाणु आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान में बिजली की खपत और उत्पादन का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- i. गत तीन वर्षों 2015-16 से 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान 83519 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है जिसमें पारंपरिक स्रोतों से 49161 मेगावाट क्षमता तथा नवीकरणीय स्रोतों से 34358 मेगावाट क्षमता शामिल है।
- ii. गत तीन वर्षों 2015-16 से 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान 90767 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें तथा 276338 एमवीए की अंतरण क्षमता पूरी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की निकासी में सुविधा हुई है। गत तीन वर्षों 2015-16 से 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान 52700 मेगावाट की अंतर राज्यीय पारेषण क्षमता जोड़ी

गई है। इसके कारण अब विद्युत देश में कहीं से कहीं तक आसानी से विद्युत का अंतरण किया जा सकता है।

- iii. भारत सरकार उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त तथा विश्वसनीय आपूर्ति करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण करने तथा कृषि फीडर्स का पृथक्करण करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) तथा सौभाग्य आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है।
- iv. भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) : गत तीन वर्षों 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान चालू की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन तथा आपूर्ति की गई वैद्युत ऊर्जा का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3762 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2015-16 के दौरान चालू की गई परियोजनाओं की सूची

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | प्रकार | क्षमता (मेगावाट) |
|----------|--|---------|------------------|
| | ताप विद्युत परियोजनाएं | | |
| 1 | अनूपपुर टीपीपी यू-1,2 | कोयला | 1200 |
| 2 | बंदाखार टीपीपी यू-1 | कोयला | 300 |
| 3 | बाल्को टीपीपी यू-1,2 | कोयला | 600 |
| 4 | अनपरा डी टीपीपी यू-6,7 | कोयला | 1000 |
| 5 | कालीसिंधी एसटीपीपी यू-2 | कोयला | 600 |
| 6 | बोंगाईगांव टीपीपी यू-1 | कोयला | 250 |
| 7 | तूतीकोरिन जेवी यू-2 | कोयला | 500 |
| 8 | कोंडापल्लो स्टे.-III-ए (यू-1,2) | गैस | 742 |
| 9 | विंध्याचल एसटीपीपी स्टे.-V यू-13 | कोयला | 500 |
| 10 | पैनमपुरम टीपीपी यू-2 | कोयला | 660 |
| 11 | जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लि., ब्लॉक-1,2 | गैस | 768 |
| 12 | सिक्का टीपीएस एक्सटें. यू-4 | कोयला | 250 |
| 13 | उचपिंडा टीपीपी, यू-1,2 | कोयला | 720 |
| 14 | तलवंडी साबो यू-2,3 | कोयला | 1320 |
| 15 | आईटीपीसीएल टीपीपी यूनिट-1 | कोयला | 600 |
| 16 | काकतिया टीपीपी स्टे.-II यू-1 | कोयला | 600 |
| 17 | सागरदिघी टीपीपी एक्सटें. यू-3 | कोयला | 500 |
| 18 | प्रयागराज (बारा) टीपीपी यू-1 | कोयला | 660 |
| 19 | विजाग टीपीपी यू-1,2 | कोयला | 1040 |
| 20 | त्रिपुरा सीसीजीटी मोनार्चक | गैस | 35.6 |
| 21 | रघुनाथपुर टीपीपी फेज-1 यू-2 | कोयला | 600 |
| 22 | मुतियारा टीपीपी ,यू-2 | कोयला | 600 |
| 23 | ललितपुर टीपीपी यू-1,2 | कोयला | 1320 |
| 24 | गोइंदवाल साहिब टीपीपी यू-1,2 | कोयला | 540 |
| 25 | इंड बराथ एनर्जी प्रा. लि. टीपीपी यू1 | कोयला | 350 |
| 26 | नबी नगर टीपीपी एक्सपें. यू-1 | कोयला | 250 |
| 27 | बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें. यू-1 | कोयला | 500 |
| 28 | मोदा एसटीपीपी-II यू-3 | कोयला | 660 |
| 29 | बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III यू-3 | कोयला | 700 |
| 30 | चंद्रपुर टीपीएस एक्सटें. यू-9 | कोयला | 500 |
| 31 | कोराडी टीपीएस एक्सपें. यू-9 | कोयला | 660 |
| 32 | सिंगरैनी टीपीपी यू-1 | कोयला | 600 |
| 33 | येरमारस टीपीपी यू-1 | कोयला | 800 |
| 34 | पार्ली टीपीएस यू-8 | कोयला | 250 |
| 35 | राईखेड़ा टीपीपी यू-2 | कोयला | 685 |
| 36 | सिओनी टीपीपी फेज-1 यू-1 | कोयला | 600 |
| | कुल (थर्मल) | | 22460.6 |
| | जल विद्युत परियोजनाएं | | |
| 37 | कोलडैम यू-3,4 | हाइड्रो | 400 |
| 38 | श्रीनगर यू-1,2,3,4 | हाइड्रो | 330 |
| 39 | बगलीहार स्टेज-II यू-1,2 | हाइड्रो | 300 |
| 40 | जोरथांग लूप यू-1,2 | हाइड्रो | 96 |
| 41 | लोअर जुराला यू-1,2,3,4 | हाइड्रो | 160 |
| 42 | बगलीहार स्टेज-II यू-3 | हाइड्रो | 150 |
| 43 | तीस्ता लो डैम स्टेज-IV यू-1,2 | हाइड्रो | 80 |
| | कुल (हाइड्रो) | | 1516 |
| | सकल योग (थर्मल+हाइड्रो) | | 23976.6 |

2016-17 के दौरान चालू की गई परियोजनाएं

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | प्रकार | क्षमता (मेगावाट) |
|-------------------------------|---|------------|------------------|
| ताप विद्युत परियोजनाएं | | | |
| 1 | ललितपुर एसटीपीपी यू-3 | कोयला | 660 |
| 2 | कुड़डालोर आईटीपीसीएल टीपीपी यू-2 | कोयला | 600 |
| 3 | भावनगर लिग्नाइट बेस्ड टीपीपी यू-1, 2 | कोयला | 500 |
| 4 | गामा सीसीपीपी, ब्लॉक-1 | गैस | 225 |
| 5 | मनगांव सीसीपीपी | गैस | 388 |
| 6 | मारवा टीपीपी यू-2 | कोयला | 500 |
| 7 | नवापारा यू-1 | कोयला | 300 |
| 8 | अगरतला गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट एसटी-1 | गैस | 25.5 |
| 9 | बारा टीपीपी यू-2 | कोयला | 660 |
| 10 | सेम्बकॉर्प गायत्री प्रा. लि. यू-1, 2 | कोयला | 1320 |
| 11 | रतीजा टीपीपी यू-2 | कोयला | 50 |
| 12 | काशीपुर सीसीपीपी ब्लॉक-1 | गैस | 225 |
| 13 | सिंगरैनी यू-2 | कोयला | 600 |
| 14 | सागरदिघी टीपीएस-11 यू-4 | कोयला | 500 |
| 15 | कोराडी टीपीपी यू-10 | कोयला | 660 |
| 16 | कुडगी टीपीपी यू-1, 2 | कोयला | 1600 |
| 17 | नामरूप सीसीजीटी | गैस | 62.25 |
| 18 | नासिक टीपीपी फेज-1, यू-2 | कोयला | 270 |
| 19 | मौदा एसटीपीपी-11 यू-4 | कोयला | 660 |
| 20 | बोंगाईगांव टीपीपी यू-2 | कोयला | 250 |
| 21 | कांती टीपीएस यू-2 | कोयला | 195 |
| 22 | येरमारस टीपीपी यू-2 | कोयला | 800 |
| 23 | ऊंचाहार टीपीएस स्टे.-1v यू-6 | कोयला | 500 |
| | कुल (थर्मल) | | 11550.75 |
| जल विद्युत परियोजनाएं | | | |
| 24 | तीस्ता लो डैम-1v यू-3, 4 | हाइड्रो | 80 |
| 25 | लोअर जुराला यू-5, 6 | हाइड्रो | 80 |
| 26 | कशांग एचईपी-11 व 111 यू-1, 2 | हाइड्रो | 130 |
| 27 | पुलीचिंताला यू-1 | हाइड्रो | 30 |
| 28 | तीस्ता-111 यू-1,2,3,4,5,6 | हाइड्रो | 1200 |
| 29 | कशांग एचईपी-11 व 111 यू-2 | हाइड्रो | 65 |
| 30 | नागार्जुन सागर टीआर यू-1, 2 | हाइड्रो | 50 |
| 31 | चंजू-1 यू-1,2 | हाइड्रो | 24 |
| | कुल (हाइड्रो) | | 1659 |
| न्यूक्लियर परियोजनाएं | | | |
| 32 | कुडनकुलम यू-2 | न्यूक्लियर | 1000 |
| | सकल योग (थर्मल + हाइड्रो + न्यूक्लियर) | | 14209.75 |

2017-18 के दौरान चालू की गई परियोजनाएं

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | ईंधन प्रकार | क्षमता (मेगावाट) |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | पुलीचिंताला यू-2 व यू-3 | हाइड्रो | 60 |
| 2 | रायलसीमा टीपीपी यूनिट 6 | कोयला | 600 |
| 3 | बरोनी एक्सटें. टीपीपी यूनिट 9 | कोयला | 250 |
| 4 | बीटीपीएस एक्सटें. यूनिट 8 | कोयला | 250 |
| 5 | नबी नगर टीपीपी यू-2 | कोयला | 250 |
| 6 | अकलतारा (नैयारा) | कोयला | 600 |
| 7 | बिंजकोट टीपीपी यू-1 व यू-2 | कोयला | 600 |
| 8 | लारा टीपीपी यूनिट 1 | कोयला | 800 |
| 9 | नवापारा टीपीपी यू-2 | कोयला | 300 |
| 10 | उचपिंडा टीपीपी यू-3 | कोयला | 360 |
| 11 | चंजू-1 यू-3 | हाइड्रो | 12 |
| 12 | सैंज एचईपी यू-1 व यू-2 | हाइड्रो | 100 |
| 13 | किशनगंगा एचईपी यू 1 से यू-3 | हाइड्रो | 330 |
| 14 | कुडगी एसटीपीपी फेज-1, यूनिट 3 | कोयला | 800 |
| 15 | नासिक टीपीपी फेज-1 यू-3 से यू 5 | कोयला | 810 |
| 16 | शीरपुर टीपीपी यू-1 | कोयला | 150 |
| 17 | सोलापुर एसटीपीपी यू-1 | कोयला | 660 |
| 18 | न्यू उमतारू यू-1 व यू-2 | हाइड्रो | 40 |
| 19 | तुरियल एचईपी यू-1 व यू-2 | हाइड्रो | 60 |
| 20 | छाबड़ा एससीटीपीपी यू-5 | कोयला | 660 |
| 21 | दिक्कू यू-1 व यू-2 | हाइड्रो | 96 |
| 22 | ताशिडिंग यू-1 व यू-2 | हाइड्रो | 97 |
| 23 | बारा टीपीपी यू-3 | कोयला | 660 |
| 24 | मेजा एसटीपीपी यूनिट 1 | कोयला | 660 |
| 25 | हल्दिया, आईपीसीएल यूनिट 2 | कोयला | 150 |
| 26 | इंडिया पावर टीपीपी (हल्दिया) यू-1 | कोयला | 150 |
| कुल (2017-18) | | | 9505 |

2017-18 के दौरान चालू की गई परियोजनाएं (नवंबर, 2018 तक)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | ईंधन प्रकार | क्षमता (मेगावाट) |
|---|--|-------------|------------------|
| 1 | पारे, यू 1 व U 2 | हाइड्रो | 110 |
| 2 | लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट यू 1-7 | गैस | 69.755 |
| 3 | महान टीपीपी, यूनिट-2 | कोयला | 600 |
| 4 | श्री सिंघाजी टीपीपी (फेज-II) यू-3 | कोयला | 660 |
| 5 | पुलीचिंताला एचईपी, यू-4 | हाइड्रो | 30 |
| कुल (2018-19) (30.11.2018 की स्थिति के अनुसार) | | | 1469.755 |

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3762 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान बिलियन यूनिट में अखिल भारतीय उत्पादन:

| | विद्युत उत्पादन (बीयू में) | | | |
|----------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------|
| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 (नवंबर तक) |
| पारंपरिक स्रोत | 1107.822 | 1160.140 | 1206.306 | 849.202 |
| नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत | 65.78085 | 815.4821 | 101.839 | 88.945 |
| कुल | 1173.60313 | 1241.689 | 1308.146 | 938.148 |

* नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन आंकड़े अनंतिम हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान बिलियन यूनिट में आपूर्ति की गई अखिल भारतीय वैद्युत ऊर्जा:

| वर्ष | आपूर्ति की गई विद्युत (बीयू में) |
|---------|----------------------------------|
| 2014-15 | 1,030.785 |
| 2015-16 | 1,090.850 |
| 2016-17 | 1,135.332 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3768

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

असम में आईपीडीएस योजना

3768. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या असम को आईपीडीएस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और यह योजना असम राज्य में कब शुरू हुई है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत असम में पूर्ण हुए कार्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है और विभिन्न कस्बों में कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईपीडीएस के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और किस योजना के अंतर्गत आवंटित की गई है; और
- (घ) इस योजना के अंतर्गत पहले से ही जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : जी, हाँ। असम राज्य इंटीग्रेटेड पावर डवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत, स्वीकृतियां सर्कल-वार की जाती हैं। आईपीडीएस के अंतर्गत असम में स्वीकृत 691.44 करोड़ रूपए मूल्य के प्रणाली सुदृढीकरण कार्यों की प्रगति का सर्कल-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। 26.02 करोड़ रूपए मूल्य की आईटी परियोजना, 19.76 करोड़ रूपए के मूल्य के जीआईएस सब स्टेशन तथा 4.77 करोड़ रूपए मूल्य के विश्वसनीयता मापन कार्य स्वीकृत किए गए हैं और सरकारी प्रापण के विभिन्न चरणों में हैं। 172.73 करोड़ रूपए की निधि पहले ही जारी कर दी गई है।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3768 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के तहत असम के विभिन्न सर्किलों में प्रगति का ब्यौरा

| क्रम सं. | सर्किल | संस्वीकृति (करोड़ रुपए) | वास्तविक प्रगति |
|----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | सिवसागर | 23.16 | 15.32% |
| 2 | गोलाघाट | 40.63 | 12.15% |
| 3 | तिनसुकिया | 27.06 | 15.13% |
| 4 | डिब्रूगढ़ | 24.74 | 18.02% |
| 5 | जोरहट | 83.92 | 14.27% |
| 6 | मोरीगांव | 9.92 | 36.14% |
| 7 | तेजपुर | 16.59 | 29.81% |
| 8 | बदरपुर | 22.26 | 13.07% |
| 9 | कचर | 21.38 | 19.53% |
| 10 | नॉर्थ लखीमपुर | 36.03 | 21.93% |
| 11 | नगांव | 48.4 | 29.78% |
| 12 | कंच | 50.95 | 36.14% |
| 13 | रंगिया | 14.44 | 35.02% |
| 14 | गुवाहटी-II | 15.21 | 100% |
| 15 | बोंगाईगांव | 34.30 | 38.8% |
| 16 | मंगलदाई | 18.39 | 11.47% |
| 17 | बारपेटा | 50.91 | 43.33% |
| 18 | कोकराझार | 46.71 | 33.23% |
| 19 | गुवाहटी | 103.00 | 21.16% |
| | समग्र औसत | 688.00 | 25.88% |
| | परियोजना प्रबंधन एसोसिएट | 3.44 | |
| | कुल | 691.44 | |

स्रोत: पीएफसी

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3775

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

कृषि अपशिष्ट

3775. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्रों में कृषि अपशिष्ट के उपयोग के लिए कोई योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों और अपशिष्टों के लिए एनटीपीसी को दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या संयंत्रों को इन उत्पादों के उपयोग के द्वारा कोई वित्तीय लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कोयले के साथ कृषि अवशेष आधारित पैलेटों का 5-10% प्रयोग करने के लिए कोयला आधारित सभी विद्युत संयंत्रों को 17 नवंबर, 2017 को परामर्शी जारी की है। सीईए ने पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के लिए तकनीकी विनिर्देश भी जारी किया है। उपरोक्त परामर्शिका के अनुरूप एनटीपीसी ने एनटीपीसी दादरी के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन (एमटीपीडी) कृषि अवशेष आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के प्रापण के लिए निविदा जारी की है। 1000 एमटीपीडी की कुल आवश्यकता में से 2 वर्षों की आपूर्ति अवधि के साथ 3 कंपनियों को 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कृषि अवशेष आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के लिए क्रय आदेश दे दिया गया है।

एनटीपीसी के अनुसार, इसके विद्युत संयंत्रों में फार्म ठूठों के प्रयोग से विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। विद्युत के परिवर्तनीय प्रभार में वृद्धि बायोमास और कोयले की कीमतों में अंतर, हीट दर में वृद्धि तथा आनुषंगिक विद्युत खपत में वृद्धि पर निर्भर करेगी। निर्धारित प्रभारों में वृद्धि बायोमास सामग्री संचालन अवसंरचना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुसार निर्भर करेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3789

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

कोयला कीमत

3789. श्री धर्मेन्द्र यादव:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को ताप गेड कोयले की कीमतों और रेलवे माल भाड़ा की लागत में मूल्य वृद्धि की मार झेलनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनवेस्टमेंट इनफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ताप गेड कोयले की कीमतों के प्रतिशत और माल भाड़े की लागत के प्रतिशत में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त ताप विद्युत संयंत्रों की लागत का उत्पादन की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या गैर-नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण ताप विद्युत संयंत्र कम उत्पादन कर रहे थे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (घ) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने दिनांक 08 जनवरी, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 29 मई, 2016 की अपनी पूर्व की मूल अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए सीआईएल की कोल कंपनियों द्वारा उत्पादित नॉन-कोकिंग कोयला के सभी श्रेणियों के मूल्यों में संशोधन किया है। कोयले की उच्च श्रेणी (जी-1 से जी-5) के मूल्य 0-5% तक घटाए गए हैं जबकि अन्य श्रेणियों (जी-6 से जी-14) के मूल्य 3 से 22% की सीमा तक बढ़ाए गए हैं।

2014 से 2018 तक कोयले की प्रति टन दुलाई के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

| दूरी (किमी में) | 25.06.2014 | 01.04.2015 | 22.08.2016 | 26.07.2017 | 15.01.2018 | 01.11.2018 |
|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | भाड़ा दर प्रति टन (रुपये में) | | | | | |
| 100 | 193.40 | 164.50 | 164.50 | 179.00 | 198.70 | 216.00 |
| 500 | 660.60 | 702.40 | 712.00 | 817.60 | 969.80 | 1054.70 |
| 1000 | 1269.20 | 1349.50 | 1349.50 | 1455.10 | 1739.60 | 1891.80 |
| 1500 | 1873.40 | 1992.00 | 1961.20 | 2066.80 | 2478.20 | 2695.00 |
| 2000 | 2350.80 | 2499.70 | 2243.40 | 2349.00 | 2819.00 | 3065.70 |

(ख) और (ग) : आईसीआरए की वेबसाइट पर रिपोर्ट "वितरण यूटिलिटीयों के लिए 11 पैसे प्रति यूनिट तक विद्युत खरीद लागत बढ़ाने के लिए घरेलू कोयले के मूल्य और रेलवे भाड़ा दरों में संशोधन" शीर्षक से उपलब्ध है, रिपोर्ट में निष्कर्ष यह है कि:

"देश में लगभग 23% के लगभग औसत एटीएंडसी हानि स्तर कल्पित करते हुए बेची गई प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति और फुटकर प्रशुल्क (स्टेक रेगुलेटरों द्वारा फुल पास-थ्रू कल्पित करते हुए) विद्युत की लागत पर कोयले के मूल्य और रेलवे भाड़ों पर प्रभाव लगभग 14 पैसे प्रति यूनिट अथवा 2.3% के प्रशुल्क की वृद्धि अनुमानित है। तथापि, राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की लागत में सीमा तक वृद्धि और इस प्रकार वितरण यूटिलिटी के लिए खुदरा प्रशुल्क इसके संपूर्ण विद्युत खरीद में कोयला आधारित उत्पादन के मिश्रण पर निर्भर करेगा।"

(ङ) : ताप विद्युत संयंत्र 2017-18 के साथ-साथ 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) में लगभग 61% पर भार कारक (पीएलएफ) पर लगातार प्रचालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में लगभग 5.5% तक बढ़ा है।

(च) और (छ) : स्टेशनों का पीएलएफ 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान 94.86% से 0 तक परिवर्तनीय रहा है। स्टेशनों का पीएलएफ कई कारणों जैसे निर्धारित नियोजित रख-रखाव के लिए बंदी, उपकरण की विफलता पर जबरन बंदी, कोयले की कमी आदि और लाभग्राहियों द्वारा स्टेशनों को वास्तविक डिस्पैच आदि पर निर्भर करती है। वास्तविक डिस्पैच प्रचलित विद्युत मांग अन्य विभाग विभिन्न स्रोतों जैसे हाइड्रो, न्यूक्लियर और नवीकरणीय आदि से विद्युत की उपलब्धता और केंद्रों से इनकी आपूर्ति की परिवर्तनीय लागत के मेरिट ऑर्डर पर निर्भर करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3795

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति

3795. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री राजीव सातव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री धनंजय महाडीक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान एनटीपीसी, पीजीसीआईएल जैसे पीएसयू द्वारा विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित/प्रभावित हुए लोगों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की मात्रा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने विस्थापित/प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या प्रभावित लोगों को वर्तमान में दी जा रही क्षतिपूर्ति राशि बहुत कम है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या विस्थापित/प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के बहुत से मामले लंबित पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : एनटीपीसी भूमि मुआवजे के लिए जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिए गए तथा मांग किए गए अनुसार अपेक्षित राशि जमा करता है जिसके बाद संबंधित जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को भूमि मुआवजे का संवितरण करता है। एनटीपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक, संबंधित जिला प्रशासन/राज्य प्राधिकरण द्वारा की गई मांग के अनुसार समग्र राशि एनटीपीसी द्वारा उनके पास जमा करा दी गई है; विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पीजीसीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पावरग्रिड की परियोजनाओं में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कोई वास्तविक विस्थापन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पीजीसीआईएल द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : एनटीपीसी के संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों/राज्य प्राधिकरणों द्वारा, एनटीपीसी के अनुरोध पर भारत सरकार (जीओआई) के विद्यमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम/संबंधित राज्यों के विशेष अधिनियमों के अनुसार परियोजना के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भारत सरकार के मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम/संबंधित राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरण द्वारा भूमि की कीमत/मुआवजा निर्धारित किया जाता है।

पावरग्रिड अपने सब-स्टेशनों के लिए “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार” की धारा-46 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार मार्केट/तय की गई दर के आधार “इच्छुक क्रेता इच्छुक बिक्रेता” आधार पर प्रत्यक्ष खरदी के माध्यम से भूमि प्राप्त कर रहा है।

(घ) और (ङ) : एनटीपीसी तथा पीजीसीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके पास मुआवजे का कोई मामला लंबित नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3795 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विभिन्न जिला प्रशासनों/राज्य प्राधिकारियों के पास भूमि अधिग्रहण के लिए जमा किया गया मुआवजा

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य | वर्ष | एनटीपीसी द्वारा जमा किया गया मुआवजा (करोड़ रु.) |
|------------|-------------------|--------------|---------|---|
| 1 | गदरवारा | मध्य प्रदेश | 2015-16 | 14.34 |
| | | | 2016-17 | 0.51 |
| | | | 2017-18 | 0 |
| | | | 2018-19 | 4.56 |
| 2 | खरगोन | मध्य प्रदेश | 2015-16 | 0 |
| | | | 2016-17 | 123.26 |
| | | | 2017-18 | 0 |
| | | | 2018-19 | 0.57 |
| 3 | कहलगांव | बिहार | 2015-16 | 0 |
| | | | 2016-17 | 2.66 |
| | | | 2017-18 | 0.54 |
| | | | 2018-19 | 21.04 |
| 4 | बीआरबीसीएल (जेवी) | बिहार | 2015-16 | 40.25 |
| | | | 2016-17 | 0.00 |
| | | | 2017-18 | 0.00 |
| | | | 2018-19 | 0.00 |
| 5 | मौदा | महाराष्ट्र | 2015-16 | 0.00 |
| | | | 2016-17 | 0.00 |
| | | | 2017-18 | 66.76 |
| | | | 2018-19 | 0.00 |
| 6 | रम्माम | पश्चिम बंगाल | 2015-16 | 2.32 |
| | | | 2016-17 | 0.00 |
| | | | 2017-18 | 0.00 |
| | | | 2018-19 | 0.00 |
| 7 | लारा | छत्तीसगढ़ | 2015-16 | 0.00 |
| | | | 2016-17 | 0.00 |
| | | | 2017-18 | 0.46 |
| | | | 2018-19 | 0.59 |
| 8 | दार्लीपल्ली | ओडिशा | 2015-16 | 4.14 |
| | | | 2016-17 | 0.00 |
| | | | 2017-18 | 3.24 |
| | | | 2018-19 | 37.16 |
| कुल | | | | 322.39 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3825

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत का आबंटन रद्द करना

3825. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से दिए जाने वाले आबंटन के अलावा ओडिशा से बाहर स्थित नए एन.टी.पी.सी. स्टेशनों से आबंटित विद्युत का आबंटन रद्द करने की अधिसूचना जारी करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर, एनटीपीसी ने अपने लाभग्राही राज्यों के लाभ के लिए विद्युत स्टेशन चालू किए हैं। तदनुसार, ओडिशा सहित राज्यों और एनटीपीसी के बीच विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओडिशा सरकार ने दिनांक 28 जून, 2014 के पत्र के माध्यम से राज्य के बाहर स्थित एनटीपीसी के स्टेशनों से विद्युत को अभ्यर्पित कर दिया है।

ओडिशा सरकार के अनुरोध को इस विद्युत का उपयोग करने के लिए सभी राज्यों को भेजा गया है और पत्र को इस अनुरोध के साथ विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है कि ऐसी विद्युत का उपयोग करने के लिए इच्छुक राज्य अपनी सहमति दे सकते हैं। सीईआरसी विनियमों के अनुसार अभ्यर्पित विद्युत को अन्य लाभग्राहियों को पुनः आवंटित की जा सकती है यदि वे ऐसी विद्युत का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, न्यू नबीनगर यूनिट-1 से ओडिशा द्वारा अभ्यर्पित की गई 155 मेगावाट विद्युत उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई थी। वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय के पास अन्य केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से ओडिशा द्वारा अभ्यर्पित की गई विद्युत का उपयोग करने के लिए अन्य लाभग्राही राज्यों से कोई अनुरोध नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3833

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

पराली का जलाना

3833. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री आनंदराव अडसुल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करकृगे कि:

- (क) क्या विशेषतः पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में किसान व्यवहार्य विकल्प की कमी के कारण पराली जला रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत संयंत्र में कुल ईंधन का 10 प्रतिशत तक पराली पेलेट का मिश्रण करने की योजना का कार्यान्वयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राज्य संचालित एनटीपीसी किसानों को पराली जलाने से रोकने हेतु विद्युत संयंत्रों के लिए रु. 5,500 प्रति टन की दर से पराली खरीदने की निविदा निकालेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या पराली के पेलेट का मिश्रण सकल कैलोरिफिक मूल्य की दृष्टि से कार्यकुशलता को प्रभावित करेगा और यदि हां, तो यह कार्यकुशलता किस हद तक प्रभावित होगी;
- (ङ) क्या एनटीपीसी ने प्रायोगिक परीक्षण पूरा कर लिया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है;
- (च) क्या एनटीपीसी ने अपने सभी संयंत्रों में धीरे-धीरे पराली पेलेट मिश्रित करने की स्कीम का विस्तार करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या विद्युत संयंत्रों में पराली का उपयोग ऊर्जा उत्पादन लागत में वृद्धि करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि उन्हें क्रमशः पंजाब तथा हरियाणा में होने वाली आगजनी की घटना के बारे में पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (पीआरएससी) तथा हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हिसार से सूचना प्राप्त होती है। पंजाब में वर्ष 2017 तथा 2018 में क्रमशः 43686 तथा 49905 आगजनी की घटनाओं की सूचना है जबकि हरियाणा में वर्ष 2017 तथा 2018 में क्रमशः 12564 तथा 101192 आगजनी की घटनाएं हुई हैं।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 नवंबर, 2017 को बायोमास को-फायरिंग के माध्यम से कोयला प्रज्वलित विद्युत संयंत्र में कोयले सहित 5-10% कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों के उपयोग

संबंधी परामर्शिका जारी की गई है। एनटीपीसी ने अपने दादरी एनटीपीसी में 10% बायोमास पैलेटों को जलाने की जांच की है।

तथापि, कृषि अपशिष्ट को एकत्र करने एवं पैलेटों में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। इस परामर्शिका से विद्युत क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों के लिए बड़ा बाजार तैयार होगा। एनटीपीसी ने अपने एनटीपीसी, दादरी संयंत्र के लिए 200 टन प्रतिदिन कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों की आपूर्ति का पहले ही ऑर्डर दे दिया है।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने एनटीपीसी के सभी विद्युत संयंत्रों को धान की पराली तथा कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए इच्छुक पक्षों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

(ग) : इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने एनटीपीसी के सभी विद्युत संयंत्रों में आधारित तथा कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए दिनांक 26 दिसंबर, 2018 को इच्छुक पक्षकारों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है।

ईओआई में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर निविदा जारी की जाएगी। एनटीपीसी की पूर्व निविदा में, 5500 रुपये प्रति टन के सीलिंग प्राइस इस क्षेत्र में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहा तथा इससे भावी निविदाओं की संभावना समाप्त हो जाएगी तथा मूल्य का निर्धारण प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) : दादरी में बायोमास टेस्ट फायरिंग कम समय के लिए की गई थी। दक्षता पर प्रभाव डालने के लिए दीर्घकालिक बायोमास को-फायरिंग अपेक्षित होती है जो दादरी में जल्द ही शुरू होने वाली है। दक्षता पर प्रभाव संबंधी अंतिम आंकड़े एक बार दीर्घकालिक आधार पर बायोमास को-फायरिंग होने के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ङ) : दादरी में परीक्षण प्रचालन 200 मेगावाट की एक यूनिट में उपयुक्त संशोधन करने के बाद 100 मीट्रिक टन बायोमास पैलेटों सहित सितंबर, 2017 से शुरू किया गया था। अब, एनटीपीसी वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास को-फायरिंग शुरू करने जा रहा है जिसके लिए प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों को खरीदने का ऑर्डर पहले ही दे दिया गया है। प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन सामग्री की डिलीवरी शुरू कर दी गई है तथा शेष की डिलीवरी शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

(च) : एनटीपीसी ने एनटीपीसी के सभी विद्युत संयंत्रों में आधारित तथा कृषि अपशिष्ट आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिए दिनांक 26 दिसंबर, 2018 को इच्छुक पक्षकारों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। ईओआई में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर निविदा जारी की जाएगी।

(छ) : विद्युत संयंत्रों में खेत की ठूठ आधारित पैलेटों/टोरिफाइड पैलेटों के उपयोग से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। विद्युत के परिवर्तनशील प्रभार में वृद्धि बायोमास तथा कोयले के मूल्य में भिन्नता पर निर्भर करेगी तथा इस प्रकार यह अलग-अलग संयंत्रों के लिए भिन्न होगी (कृषि अपशिष्ट आधारित बायोमास पैलेटों/टोरिफाइड बायोमास पैलेटों/कोयले की ईंटों का मूल्य निविदा के माध्यम से तय किया जाएगा)। इसके अतिरिक्त, बायोमास सामग्री संचालन अवसंरचना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण निर्धारित प्रभार में मामूली वृद्धि होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3844

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि

3844. श्रीमती वीणा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के कतिपय राज्यों में आयातित कोयले से संचालित होने वाली परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत के उपभोक्ता प्रशुल्क में वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन परियोजनाओं के स्थान-वार नाम क्या हैं; और
- (ग) निर्धारित उपभोक्ता प्रशुल्क में परियोजना-वार कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए देश के विभिन्न राज्यों के आयातित कोयले द्वारा चलाए जाने वाले कुछ प्रमुख ताप विद्युत स्टेशनों का उत्पादन प्रशुल्क नीचे दिया गया है:

| क्रम सं. | ताप विद्युत स्टेशन का नाम | क्षमता (मेगावाट) | स्थान | विद्युत की बिक्री की दर (पैसा/केडब्ल्यूएच) | |
|----------|---------------------------|------------------|--------------|--|---------|
| | | | | 2015-16 | 2016-17 |
| 1 | सिक्का टीपीएस | 500 | गुजरात | 529 | 588 |
| 2 | ट्रॉम्बे टीपीएस | 500 | महाराष्ट्र | 404 | 440 |
| | | 800 | | 401 | 440 |
| 3 | रत्नागिरी टीपीएस | 300 | महाराष्ट्र | 286 | 265 |
| | | 900 | | 360 | 390 |
| 4 | टोरंगल्लु एसबीयू-1 | 260 | कर्नाटक | 503 | 433 |
| 5 | टोरंगल्लु एसबीयू-11 | 600 | कर्नाटक | 504 | 428 |
| 6 | मुंद्रा टीपीएस | 1320 | गुजरात | 285 | 286.71 |
| | | 1320 | | 235 | 234.95 |
| | | 1980 | | 323 | 320.90 |
| 7 | उडुपी टीपीपी | 1200 | कर्नाटक | 423 | 425 |
| 8 | मुंद्रा यूएमपीपी | 4000 | गुजरात | 232.8 | 239 |
| 9 | एस्सार (सलाया) | 1200 | गुजरात | 286 | 360 |
| 10 | सिम्हापुरी टीपीएस | 600 | आंध्र प्रदेश | 514 | 391 |
| 11 | थामिनापट्टनम टीपीएस | 300 | आंध्र प्रदेश | 471 | 499.40 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3859

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विमानपत्तनों पर एलईडी लाइटें लगाना

3859. कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने पूरे देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले विमानपत्तनों, इमारतों और सुविधाओं पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटें लगाने के संबंध में एएआई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना पर कितना निवेश किया गया है तथा इसे कब तक शुरू किए जाने के संभावना है;
- (ग) उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ ईईएसएल ने अब तक अकुशल लाइटिंग और कूलिंग उपकरणों को बदलने के संबंध में हस्ताक्षर किए हैं;
- (घ) ईईएसएल द्वारा अब तक नए उपकरणों को लगाने/ऊर्जा दक्ष उपकरणों से अकुशल लाइटिंग और कूलिंग उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के माध्यम से की गई बचत का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में कई निजी/सरकारी वाणिज्यिक इमारतों को ऊर्जा दक्ष परिसरों में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले पूरे भारत के एयरपोर्टों, भवनों और सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटें लगाने के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2018 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। संपूर्ण

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 24.41 करोड़ रुपये है। ईईएसएल द्वारा 15 जनवरी, 2019 तक एएआई भवनों में एलईडी लाइटें लगाने का कार्य पूरा किये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) : ईईएसएल ने अदक्ष लाइटों और कूलिंग उपकरणों को दक्ष उपकरणों के साथ बदलने के लिए रेलवे, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी), एएआई, आंध्र प्रदेश जिला न्यायालय, दक्षिणी दिल्ली नगरपालिका निगम (एसडीएमसी) विद्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) और केंद्रीय/राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

अब तक, ईईएसएल ने रेलवे स्टेशनों सहित 10,088 भवनों में भवन ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं पूरी की हैं। ऊर्जा लेखा परीक्षा इन भवनों में 30-50% तक की ऊर्जा बचत संभाव्यता दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, 82.76 मिलियन किलोवाट घंटा/प्रति वर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत और 66.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बचत होने का अनुमान है।

(ङ) : सरकार द्वारा भारत में बहु निजी/सरकारी वाणिज्यिक भवनों को ऊर्जा दक्ष कॉम्प्लेक्सों में बदलने के लिए उठाए गए अन्य कदम/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा अधिगृहीत सभी भवनों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठन ऊर्जा दक्ष बनाए जाएं, अगस्त, 2017 में सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों निर्देश जारी किए हैं।
- (ii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) और बिल्डिंग स्टार लेबलिंग प्रोग्राम नामक दो पहलें तैयार की हैं।
- (iii) स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीईई ने स्वैच्छिक दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिसमें होटल, एयरपोर्ट, सार्वजनिक एवं बड़े संस्थानों के सार्वजनिक कार्यालय कॉम्प्लेक्सों जैसे बड़े वाणिज्यिक संस्थापनाओं में कार्यान्वयन के लिए 24-26°C के इष्टतम स्तर पर वातानुकूलित तापमान निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।
- (iv) ईईएसएल वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को रिट्रोफिट करने के लिए भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (बीईईपी) कार्यान्वित कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3865

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन लागत

3865. श्रीमती रीती पाठक:

श्री जुगल किशोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विद्युत, विद्युत उत्पादन लागत और विद्युत वितरण लागत के बीच अत्यधिक अंतर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा प्रति इकाई में विद्युत उत्पादन लागत और उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विद्युत लागत के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत उत्पादन की लागत तथा अंतिम उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की लागत में अंतर का कारण अंतिम उपभोक्ता को होने वाली विद्युत की आपूर्ति की लागत है जिसमें विद्युत उत्पादन लागत के अतिरिक्त पारेषण प्रभार, पारेषण हानियां, वितरण नेटवर्क प्रभार, वितरण हानियां तथा वाणिज्यिक हानियां इत्यादि शामिल हैं। उत्पादन कंपनियों तथा वितरण कंपनियों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई रिपोर्ट के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान औसत विद्युत उत्पादन लागत अनुबंध में दी गई है।

(ग) : केंद्र सरकार उपयुक्त पॉलिसी नेटवर्क तथा कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में दक्षता को बढ़ावा दे रही है तथा तकनीकी हानियों को कम करने के लिए वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण में भी सहायता पहुँचा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति में प्रावधान है कि डिस्कॉमों द्वारा विद्युत का प्रापण मात्र प्रतिस्पर्द्धी बोली मार्ग के माध्यम से किया जाना आवश्यक होता है जिससे प्रशुल्क दरों को कम करने में सहायता मिल सके। इससे डिस्कॉमों की प्रचालन लागतों को कम करने के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों और चोरी को कम करने पर भी बल दिया जाता है। इन उपायों से प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत तथा उस लागत में, जिस पर उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है, अंतर में कमी आने की संभावना है।

लोक सभा में दिनांक 03.01.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3865 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान वितरण कंपनियों की आपूर्ति की औसत विद्युत उत्पादन लागत और औसत लागत नीचे दी गई है:

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|--|---------|---------|---------|
| औसत उत्पादन लागत (रु./केडब्ल्यूएच) | 3.45 | 3.67 | 4.43 |
| वितरण कंपनियों की आपूर्ति की औसत लागत (रु./केडब्ल्यूएच) | 5.19 | 5.21 | 5.43 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3879

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

ताप विद्युत कंपनियां

3879. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जल संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विद्यमान 70 प्रतिशत से अधिक ताप विद्युत कंपनियों को 2033 तक कृषि, शहरी और औद्योगिक मांग से जल प्रतिस्पर्धा के बढ़े हुए स्तर का सामना करने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 1 जनवरी 2017 के पश्चात् अधिष्ठापित नए संयंत्रों की जल मात्रा से संबंधित नियमों को शिथिल किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) 2017-2018 से नए संयंत्रों के अतिरिक्त जल उपभोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विश्व संसाधन संस्थान ने अपने एक वर्किंग पेपर में कहा है कि भारत की मौजूदा थर्मल यूटिलिटीयों के 70 प्रतिशत से अधिक में वर्ष 2030 तक कृषि, शहरी और अन्य औद्योगिक मांगों से जल प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर का अनुभव करने की संभावना है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत का थर्मल पावर क्षेत्र जल पर निर्भर है और जल की कमी का सामना कर रहा है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07 दिसंबर, 2015 को थर्मल पावर संयंत्रों के जल की खपत के लिए निम्नलिखित नए मानक अधिसूचित किए हैं और दिनांक 28 जून, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किए गए हैं:

- (i) वन्स थ्रू कूलिंग (ओटीसी) वाले सभी संयंत्र कूलिंग टावर (सीटी) लगाएंगे और दिनांक 07 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना से दो वर्षों के भीतर 3.5 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा की विशिष्ट जल खपत करेंगे।
- (ii) सभी मौजूदा सीटी आधारित संयंत्र, अधिसूचना के दो वर्षों की अवधि के भीतर 3.5 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा तक कम विशिष्ट जल खपत अधिक करेंगे।
- (iii) दिनांक 01 जनवरी, 2017 के बाद संस्थापित किए जाने वाले नए संयंत्र 3.0 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा की विशिष्ट जल खपत को पूरा करेंगे और जीरो वाटर डिस्चार्ज करेंगे।

उक्त जल खपत की सीमा समुद्री जल उपयोग कर रहे थर्मल पावर संयंत्रों पर लागू नहीं होगी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान (नवंबर, 2018 तक) जोड़ी गई कुल थर्मल क्षमता 10039.72 मेगावाट है और वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान इस क्षमता से उत्पादित विद्युत 29777.3 एमयू है। देश भर में प्रतिदिन आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा खपत की गई कुल जल की निगरानी विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3888

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण को मजबूत बनाना

3888. श्री महेश गिरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ताप, जल, पवन और अन्य हरित ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण को मजबूत बनाने, फीडर को अलग करने और उपभोक्ताओं को विद्युत की मिटरिंग के संबंध में कोई उल्लेखनीय निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में भरोसेमंद, 24 घंटे गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कोई योजना शुरू की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने विद्युत क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें विद्युत उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में छूट तथा ताप विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयोग किए गए कोयले की गुणवत्ता की तीसरी पक्ष सैंपलिंग, 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली से जल विद्युत को बाहर रखना, आर्थिक और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, डिस्कॉमों के पूर्णरूपेण वित्तीय परिवर्तन के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), इंटीग्रेटेड पावर डवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी योजना के जरिए पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण शामिल है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 1 अप्रैल, 2019 से सभी के लिए विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और उदय सहित अपनी योजनाओं के जरिए उनके प्रयासों को बढ़ावा देगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3893

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

3893. श्री गुल्था सुकेंद्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दीनदयाल उज्ज्वल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का जमीनी स्तर पर उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या डीडीयूजीजेवाई योजना अपने कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधि की कमी का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अच्छी तरह से कार्यान्वित की जा रही है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, 42,676.67 करोड़ रुपये की 4,505 नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। सौभाग्य के अंतर्गत किए जा रहे घरों के विद्युतीकरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त अवसंचना के सृजन के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 14 राज्यों को 11,996 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी संस्वीकृत की गई है। निधियां स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले से जारी की गई राशि के उपयोग और वास्तविक प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं। विगत चार वर्षों (2014-15 से 2017-18 तक) के दौरान आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों को 25,135 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत आबादी वाले जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। देश भर में सार्वभौमिक विद्युतीकरण और सभी के लिए 24X7 विद्युत, हासिल करने में राज्यों की सहायता करने के लिए फीडर पृथक्करण, प्रणाली सुदृढीकरण, मीटरिंग और विद्युतीकृत गाँवों के सघन विद्युतीकरण का कार्य कार्यान्वयनाधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3907

जिसका उत्तर 03 जनवरी, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी

3907. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार कई विद्युत परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार समय-समय पर इन परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करती है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या कुछ विद्युत परियोजनाओं का कार्य निष्पादन समुचित रूप से नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी की गई हाल की रिपोर्ट (सितंबर, 2018) के अनुसार, केंद्रीय क्षेत्र की 105 विद्युत परियोजनाओं की ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) के जरिए निगरानी की जा रही है। 105 परियोजनाओं में से केंद्रीय क्षेत्र की 43 विद्युत परियोजनाओं में लागत बढ़ने की सूचना दी गई है।

विलंबित विद्युत परियोजनाओं की विद्युत मंत्रालय (एमओपी) तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में विभिन्न स्तरों पर कड़ाई से निगरानी की जाती है। एमओएसपीआई के ओसीएमएस में भी विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लक्ष्यों की निगरानी की परिकल्पना की है। विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित विद्युत उपक्रम (सीपीएसयू) बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को नियमित रूप से अद्यतन करते हैं।

विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू करने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र विद्यमान है:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिचिन्हित करने और उनका समाधान करने में सहायता करने के लिए नियमित स्थल दौड़ों और विकासकर्ताओं, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ विचार-विमर्श करके निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करता है।
- विद्युत मंत्रालय भी चल रही विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटीयों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू)/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा करता है।
- जब भी आवश्यक होता है, समस्या के सकारात्मक समाधान तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति में भी मुद्दे उठाए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री कार्यालय में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) भी लंबित परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करता है। परियोजनाओं के विकासकर्ता संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ उनके समाधान के लिए पीएमजी पोर्टल पर परियोजना विशिष्ट मुद्दों को उठा सकते हैं।
- जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर की जांच के लिए सीईए में समयबद्ध मूल्यांकन मानदंड बनाए गए हैं।
- संबंधित विद्युत सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में परियोजना कार्यान्वयन प्राचल/लक्ष्य शामिल किए जाते हैं और सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान तथा विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों में उनकी निगरानी की जाती है।
- मामले राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाए जाते हैं और वे मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों का समाधान करने में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता कर रहे हैं।
